1. नियुक्ति

[1]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- **सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्त्तन का प्रस्ताव एतद् संबंधी संशोधन।**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-16440 दिनांक 31.12.80 एवं संकल्प संख्या-11243 दिनांक -06.12.95 के द्वारा सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के वे पद, जिनपर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के पूर्व निर्धारित प्रक्रिया को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-4524 दिनांक -01.06.99 द्वारा विलोपित करते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए वर्ग-3 के वनरक्षी सहित गैरवर्दीधारी पदों पर नियुक्ति के लिए प्रमण्डलीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन एवं प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई थीं।

2. तदनुसार परीक्षा के आयोजन हेतु उक्त संकल्प संख्या-4524 दिनांक-01.06.99 के क्रम में संकल्प की कंडिका - 1 (च) के आलोक मे विभागीय पत्र संख्या-5570 दिनांक-06.07.99 के अन्तर्गत परीक्षा की तिथि 28.11.99 (रविवार) निर्धारित की गई थी।

3. इस संदर्भ में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-864 दिनांक 27.7.99 के तहत यह सूचना प्रेषित की गई थी कि कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग के पूर्व के संकल्प संख्या-11243 दिनांक-06.12.95 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग में विज्ञापन के आधार पर लगभग 15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब नयी प्रक्रिया के तहत वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में निष्पादनार्थ निदेश की अपेक्षा की गई।

4. परीक्षा के सफल संचालन हेतु दिनांक 15.10.99 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित प्रमण्डलीय आयुक्तों की बैठक में भी प्रमण्डलीय आयुक्तों द्वारा कई प्रशासनिक एवं तकनीकी बिन्दुओं तथा मूलभूत सुविधाओं के अभाव का हवाला देते हुए परीक्षा के संचालन में व्यावहारिक कठिनाई व्यक्त की गयी।

5. वर्णित परिस्थिति में प्रमण्डलीय स्तर पर परीक्षा संचालन में होनेवाली कठिनाइयों के दृष्टिकोण से आवेदन प्राप्त कर चयन की जो प्रक्रिया पूर्व में आयोग द्वारा प्रारम्भ की गई है, उसे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ही तत्काल पूरी कराने एवं तदनुसार संकल्प संख्या-4524 दिनांक-01.06.99 में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई।

6. अत: सम्यक विचारोपरान्त कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग के संकल्प संख्या-4524 दिनांक-01.06.99 की कंडिका-1 (क) एवं (च) को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रमण्डलीय स्तर पर दिनांक-28.11.99 को पूर्व निर्धारित परीक्षा, जो आयोजित नहीं की जा सकी, अब इस वर्ष बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त कर चयन की जो प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है, का संचालन आयोग के स्तर से करते हुए चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

7. सरकार के संकल्प संख्या-4524 दिनांक-01.06.99 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

आदेश :- 1. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- अलका तिवारी

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप सं०-3/एम1-1097/90-का० 1128 पटना-15, दिनांक 7 फरवरी, 2000

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित। अनुरोध है कि इसकी एक हजार प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशाखा-3) को शीघ्र भेजी जाए।

ह०/- अलका तिवारी

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप सं०- 3/एम1-1097/90-का० 1128 पटना-15, दिनांक 7 फरवरी, 2000

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा सभी जिलाधिकारी / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/- अलका तिवारी

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप सं०- 3/एम1-1097/90-का० 1128 पटना-15, दिनांक 7 फरवरी, 2000

प्रतिलिपि :- सभी प्रशाखा पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- अलका तिवारी

सरकार के अपर सचिव।

------

[2]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्त्तन ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं०-16440 दिनांक-31.12.80 एवं संकल्प सं०-11243 दिनांक 6.12.95 के द्वारा सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 (वर्ग-तीन) के वे पद जिनपर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की पूर्व निर्धारित प्रक्रिया निरूपित है को विलोपित करते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए वर्ग-3 के वनरक्षी सहित गैरवर्दीधारी पदों पर नियुक्ति के लिए अब प्रमण्डलीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जायेगा । परीक्षा आयोजन में निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

1. **परीक्षा का आयोजन**

(क) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के पदों पर नियुक्तियाँ प्रमण्डलीय स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी।

(ख) प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रमण्डलीय आयुक्त की निगरानी में होगा। साथ ही आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की जायेगी जिसमें निम्नांकित सदस्य रहेंगे :-

(i) प्रमण्डल के वरीयतम समाहर्त्ता ।

(ii) प्रमण्डल के वरीयतम उप विकास आयुक्त ।

(iii) उप निदेशक, कल्याण ।

(iv) प्रमण्डल के एक अपर समाहर्त्ता स्तर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी जिनका मनोनयन आयुक्त करेंगे ।

(ग) प्रतियोगिता परीक्षा प्रत्येक वर्ष में एक बार होगी ।

(घ) प्रतियोगिता परीक्षा प्रारम्भ होने की सम्भावित तिथि से कम-से-कम 120 दिन पूर्व प्रमण्डलीय आयुक्त अपने अधीनस्थ सभी संबंधित नियुक्ति पदाधिकारियों को अनुरोध पत्र भेजकर अधियाचना पत्र प्रमण्डलीय आयुक्त को भेजने हेतु कहेंगे ।

(ङ) सभी विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के रिक्त पदों की सूचना परीक्षा की तिथि से 90 दिन पूर्व प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रेषित की जाएगी । इस सम्बन्ध में अधियाचना का प्रपत्र अनुलग्नक-1 में अंकित किया गया है ।

(च) पूरे राज्य में एक ही तिथि और कार्यक्रम के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगी । परीक्षा तिथि और कार्यक्रम का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जायेगा ।

(छ) परीक्षा के सम्बन्ध में तिथि एवं कार्यक्रम की घोषणा प्रत्येक प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर दी जाएगी तथा उसकी प्रतिलिपियाँ सभी अधीनस्थ नियोजनालयों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों को भेजी जायेगी। सूचना का प्रारूप अनुलग्नक-2 पर दिया गया है ।

(ज) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि से कम-से-कम साठ दिनों पूर्व तत्संबंधी सूचना का प्रकाशन अवश्य होना चाहिए ।

(झ) प्रतियोगिता परीक्षा की घोषणा के साथ-ही-साथ आवेदन-पत्र एवं प्रवेश पत्र का प्रपत्र भी प्रकाशित किया जायेगा (अनुलग्नक-3)। आवेदन पत्र में केवल उम्मीदवार को जाति का उल्लेख करना है । आरक्षित वर्ग या अनारक्षित वर्ग का उल्लेख नहीं किया जाना है ।

(ट) परीक्षा में बैठने हेतु उम्र का वर्ष प्रतिबन्ध लागू रहेगा, जो कि सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु है ।

(ठ) चतुर्थवर्गीय कार्यरत सरकारी सेवक भी अपने-अपने प्रमण्डलों की इस परीक्षा में बैठने हेतु सक्षम होंगे । बशर्ते वे नियुक्ति हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों एवं आवेदन आमंत्रित करने के विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली आयु सीमा के अन्दर हों।

(ड) इस प्रतियोगिता परीक्षा के केन्द्र/परीक्षार्थियों की संख्या एवं समुचित आयोजन के दृष्टिकोण से प्रमण्डलीय मुख्यालयों के अतिरिक्त उस प्रमण्डल के एक या एकाधिक जिला मुख्यालयों में भी निर्धारित किये जायेंगे। ऐसी स्थिति में प्रमण्डलीय आयुक्त के निदेशों के अन्तर्गत संबंधित जिलाधिकारी परीक्षा के स्वच्छ एवं समुचित संचालन के लिए जिम्मेवार रहेंगे ।

2. **परीक्षा की फौरमेट**

(क) परीक्षा केवल तीन विषयों में ली जायेगी- हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं गणित ।

(ख) परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मैट्रिक स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निर्धारित है । इसका विवरण अनुलग्नक-2 की कंडिका-5 में अंकित है ।

(ग) इसके प्रश्न-पत्र सामान्य तौर पर ली जानेवाली परीक्षाओं की भाँति सेट किये जायं अथवा औबजेक्टिव टाइप के, यह निर्णय प्रमण्डलीय आयुक्त परीक्षार्थियों की संख्या एवं अन्य बिन्दुओं को देखते हुए, अपने विवेक से लेंगे। इस कार्य में औबजेक्टिव टाइप के प्रश्न-पत्र बनाकर उनके उत्तर कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से जाँच किये जायेंगे अथवा पुरानी पद्धति से, यह निर्णय भी प्रमण्डलीय आयुक्त अपने विवेक से लेंगे। धीरे-धीरे औबजेक्टिव टाइप की पद्धति ही पूर्णत: अपनाई जाय ।

(घ) इस परीक्षा में किसी प्रकार की अंतर्वीक्षा का प्रावधान नहीं रहेगा ।

(च) आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर आयुक्त कार्यालय में प्रत्येक आवेदन को जिलावार छांट कर उसे पंजीकृत करके उसका एक रौल नम्बर आबंटित किया जायेगा, जिसका अंकन आवेदन-पत्र (अनुलग्नक-3) के क्रमांक-3 पर किया जायेगा। उसके साथ ही आवेदन-पत्र का क्रमांक-1, 2 एवं 4 भी आयुक्त कार्यालय में भरा जायेगा।

(छ) आवेदन-पत्र के साथ प्रेषित प्रवेश-पत्र (ऐडमिट कार्ड) जिसका नमूना आवेदन-पत्र के साथ संलग्न है और जो आवेदन-पत्र का एक अंग माना जायेगा, में आयुक्त कार्यालय द्वारा रौल नम्बर एवं अन्य विवरण भरकर, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से हस्ताक्षरित कर उस प्रवेश-पत्र को उम्मीदवार द्वारा भेजे गए दो लिफाफे में भरकर निबंधित डाक से परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से कम-से-कम 21 (इक्कीस) दिनों पूर्व निर्गत किया जायेगा ।

(ज) आयुक्त कार्यालय द्वारा आवेदनों की जांच कर जो भी आवेदन सही पाए जायेंगे, उनको प्रवेश-पत्र जिसका नमूना आवेदन-पत्र के साथ संलग्न है और जो आवेदन-पत्र के साथ आवेदक द्वारा समर्पित किया जायेगा, उसे निर्गत किया जाय । जो आवेदक अर्हता अथवा उम्र के आधार पर स्वीकार्य नहीं होंगे, उन्हें आयुक्त

कार्यालय द्वारा कारण अंकित करते हुए आवेदक द्वारा भेजे गये दो लिफाफों में से एक में निर्बाधित डाक से संसूचित किया जायेगा । इसी लिफाफे में आवेदक द्वारा प्रेषित स्टाम्प लगा तथा उपयोग में नहीं लाया गया एक और लिफाफा भी उसे वापस लौटा दिया जायेगा ।

(झ) परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का उपस्थिति-पत्र भी आयुक्त कार्यालय में परीक्षा केन्द्र द्वारा तैयार किया जायेगा। इसका प्रपत्र अनुलग्नक-4 में दिया गया है। इस उपस्थिति-पत्र को हर केन्द्र पर भेजकर परीक्षा में बैठने वाले हर परीक्षार्थियों से प्रत्येक विषय की परीक्षा के समय हस्ताक्षरित करा लेना होगा ताकि यह पता चल सके कि किस परीक्षार्थी ने किस-किस विषय की परीक्षा दी है ।

(ञ) परीक्षा के बाद केन्द्रों से उत्तर-पुस्तिका वापस मंगवाते समय उत्तर-पुस्तिकाओं के बण्डल में ही उपस्थिति-पत्र भी एक अलग लिफाफे में डालकर साटकर आयुक्त कार्यालय को वापस किया जायेगा।

(ट) आयुक्त कार्यालय में प्राप्त उत्तर-पुस्तिकाओं को उपस्थिति पत्र से मिलाकर जांच लिया जायेगा कि प्राप्त उत्तर-पुस्तिकाएँ सही हैं। तत्पश्चात् उन्हें सौ-सौ का बण्डल बनाकर हर बण्डल पर एक पहचान चिह्न अंकित कर बण्डलों का पंजीकरण किया जायेगा। इन बण्डलों को तदनुसार आयुक्त द्वारा निर्धारित जांच केन्द्रों पर मुख्य जोंचकर्त्ता को निश्चित तिथि को भेजवाना होगा।

(ठ) इसके पूर्व आयुक्त कार्यालय द्वारा प्राप्त सभी उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग की जायेगी ताकि मूल्यांकन के समय जांचकर्त्ता को परीक्षार्थी की पहचान नहीं मिल सके। इस हेतु उत्तर-पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को व्यवहार में लाया जायेगा । जिसका नमूना अनु०-5 पर दिया गया है। कोडिंग के लिए विभिन्न तरीके (चिह्न) अपनाये जा सकते हैं, जैसे एक जिले के लिए 'x' एवं तब क्रमांक (जैसे- x_1, x_2, x_3, x_4 आदि)।

(ड) कोडिंग के बाद उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा नियुक्त जांचकर्त्ताओं द्वारा कराई जा सकती है ।

(ढ) जांचकर्त्ताओं को उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के साथ-साथ दो-दो प्रतियों में टेबुलेशन शीट अनुलग्नक-6 भी भरना होगा । हर जांच केन्द्र पर हर विषय का एक-एक मुख्य जांचकर्त्ता होगा। उसकी जिम्मेवारी उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल प्राप्त करना तथा टेबुलेशन शीट को जांचकर्त्ताओं में वितरित करना, जांच के पश्चात हर उत्तर-पुस्तिकाओं में दो बिन्दु चेक करना कि :-

(i) हर उत्तर में अंक दिये गये हों तथा (ii) दिए गए अंकों का योग सही है। तत्पश्चात् हर टेबुलेशन शीट के अन्त में जांचकर्त्ता के हस्ताक्षर के बाद मुख्य जांचकर्त्ता का हस्ताक्षर होगा। हर जांचकर्त्ता एवं मुख्य जांचकर्त्ता को अपने-अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम एवं पदनाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा । मुख्य जांचकर्त्ता को यह सूची भी अंतिम रूप से तैयार करनी होगी कि किस जांचकर्त्ता ने किस विषय की कितनी कोड संख्या से कितनी कोड संख्या तक की कुल कितनी उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच की ताकि उसके आधार पर टेबुलेशन शीट के एक-एक प्रति पर भुगतान की प्राप्ति अंकित करवा के पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सके ।

(ण) प्रत्येक जांच केन्द्र पर हर विषय के लिए एक मुख्य जांचकर्त्ता के साथ सहायता के लिए दो सहायक मुख्य जांचकर्ता रहेंगे, परन्तु जहां भी मुख्य जांचकर्त्ता का हस्ताक्षर अपेक्षित होगा, वहां सहायक जांचकर्त्ता हस्ताक्षर करने को अधिकृत नहीं होंगे ।

(त) प्रत्येक मुख्य जांचकर्त्ता एवं सहायक जांचकर्त्ता को पारिश्रमिक के तौर पर राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक देय होगा ।

(थ) मेरिट लिस्ट आरक्षणवार तैयार की जायेगी जो निम्नांकित प्रपत्र में होगा :-

क्र. सं०	आवेदक का नाम	कोड सं०	जिला का नाम	रौल नं०	जन्म तिथि	आरक्षण की श्रेणी (अंकों में)	प्राप्तांक हिन्दी	सा० ज्ञान	गणित	योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(द) यह मेरिट लिस्ट कम्प्यूटर द्वारा भी तैयार कराया जा सकता है, जिसके लिए राज्य के प्राय: सभी जिला मुख्यालयों में कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध है ।

(ध) परीक्षाफल का प्रकाशन उपर्युक्त परीक्षा के आधार पर तैयार किए गए मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय एवं अधीनस्थ सभी जिला पदाधिकारी के कार्यालयों के नोटिश बोर्ड पर स्पष्ट रूप से किया जायेगा ।

(न) परीक्षाफल में केवल उतने ही व्यक्तियों का नाम एवं प्राप्तांक प्रकाशित किया जायेगा, जितनी-जितनी रिक्तियां आयुक्त को, अधियाचना के माध्यम से कोटिवार (आरक्षित/अनारक्षित) प्राप्त हुई हों ।

(प) प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय में तैयार किए गए पैनल की वैधता एक वर्ष की होगी ।

(फ) कोई भी परीक्षार्थी यदि अपने परीक्षाफल से असंतुष्ट हों तो वह आवेदन में वर्णित तरीके चालान द्वारा पच्चीस रुपये प्रति विषय की दर से जमा कर अपनी कॉपी के (क) प्राप्तांक के योग, तथा (ख) यह चेक करवाने में कि उनके द्वारा दिया गया कोई उत्तर बिना जांचा तो नहीं रह गया है, करवाने में समर्थ होंगे। इस प्रकार का आवेदन मेरिट लिस्ट के प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर ही दिया जा सकेगा, और उसकी स्थिति की जांच कर यदि आवश्यक हो तो मेरिट लिस्ट में संशोधन हेतु सात दिनों के अन्दर आदेशार्थ प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष समर्पित किया जायेगा । प्रमण्डलीय आयुक्त उस पर अविलम्ब आदेश पारित कर यथा आवश्यक मेरिट लिस्ट में संशोधन करते हुए अन्य अनुवर्त्ती कार्रवाई करने में सक्षम होंगे ।

(ब) इसके आधार पर नियुक्ति पदाधिकारियों को सफल अभ्यार्थियों की सूची दस दिनों के अन्दर उनके मूल आवेदन एवं अन्य कागजातों के साथ भेज दी जायेगी ।

(भ) नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति-पत्र निबंधित डाक से निर्गत किए जाने के एक माह के अन्दर यदि सफल उम्मीदवार अपना पदभार ग्रहण नहीं करता है, तो पन्द्रह दिनों के अन्दर नियुक्ति पदाधिकारी वैसे रिक्त पदों एवं कोटि की आरक्षित/अनारक्षित की सूची आयुक्त को उपलब्ध करायेंगे । आयुक्त दस दिनों के अन्दर पूर्व में तैयार किए गए मेरिट लिस्ट से अगले नाम नियुक्ति पदाधिकारी को भेजेंगे । पुन: नये व्यक्तियों को नियुक्ति-पत्र निबंधित डाक से जारी किए जाने पर यदि वे एक माह के अन्दर प्रभार ग्रहण नहीं करते हों तो वे पद अगली प्रतियोगिता परीक्षा में स्वयमेव चले जायेंगे ।

3.(क) प्रश्न-पत्र समय से पूर्व लीक न हों तथा परीक्षा कदाचार रहित हो, इसके लिये प्रमण्डलीय आयुक्त पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे ।

(ख) इन परीक्षाओं के संचालन के लिए किसी भी प्रकार के अन्य पद सृजित नहीं होंगे और प्रत्येक प्रमण्डलीय आयुक्त / जिला में उपलब्ध कार्मिकों से ही इस योजना का संचालन करेंगे ।

4. **आरक्षण नीति**

इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से वर्ग-3 के पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी सभी नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन अनिवार्य होगा । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी अधियाचना पदाधिकारियों की होगी कि वे अपने प्रमण्डलीय आयुक्तों को जो अधियाचना भेजें, उसके पूर्व आरक्षण नीति के आलोक में रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस सक्षम पदाधिकारी/प्रमण्डलीय आयुक्त / जिलाधिकारी, जहाँ पर जो लागू हो, से करा लेंगे ।

5. **विशेष**

उपर्युक्त व्यवस्था के पश्चात् यदि यह पाया गया कि वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु इस नये निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किसी भी नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा सही रूप से नहीं किया गया है तो तुरंत प्रमण्डलीय आयुक्त यथासंभव उक्त नियुक्ति पदाधिकारी की उपस्थिति में इसकी जांच करेंगे और यदि आरोप सत्यापित हुआ तो उस पदाधिकारी को अविलम्ब निलम्बित किये जाने हेतु आरोप-पत्र एवं साक्ष्य तालिका के साथ अपनी अनुशंसा उस नियुक्ति पदाधिकारी के विभाग के प्रधान को भेजते हुए प्रतिलिपि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भी भेजेंगे।

उक्त आधार पर चलाई जाने वाली विभागीय कार्यवाही में दोषी पाये जाने पर संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी की सेवा विमुक्त तक करने जैसा वृहत दण्ड दिया जा सकेगा और यदि वे सेवानिवृत्त हो चुके हों तो उसके पेंशन से 50% (प्रतिशत) तक की राशि स्थायी रूप से काट लिये जाने का आदेश जारी किया जा सकेगा।

उपर्युक्त आरोप सत्य पाने जाने पर प्रमण्डलीय आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह गलत तरीके से की गई नियुक्तियों को अविलम्ब अपने स्तर से रद्द करने का आदेश निर्गत कर उसकी प्रतिलिपि संबंधित विभाग के प्रधान, संबंधित अधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को देंगे।

आदेश :-
1. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।
2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि महालेखाकार बिहार / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- आर०के० खण्डेलवाल
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप सं०-3/एम 1-1097/90 का०-4524 पटना-15, दिनांक 1 जून, 99.

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित। अनुरोध है कि इसकी एक हजार प्रतियां कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशाखा-3) को शीघ्र भेजी जाय।

ह०/- आर०के० खण्डेलवाल
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप सं०-3/एम 1-1097/90 का०-4524 पटना, दिनांक 1 जून, 99.

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा सभी जिलाधिकारी / सचिव, बिहार लोक सेवा आयेग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/- आर०के० खण्डेलवाल
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप सं०-4524 पटना, दिनांक 1 जून, 99.

प्रतिलिपि- सभी प्रशाखा पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- आर०के० खण्डेलवाल
सरकार के अपर सचिव।

अनुलग्नक-3

प्रमण्डल स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने हेतु
का आवेदन-पत्र

(उम्मीदवार सभी कागजात भलीभाँति इस आवेदन-पत्र के साथ नत्थी कर दें तथा आवेदन-पत्र साफ-सुथरे अक्षरों में अपनी हस्तलिपि में ही दें। आवेदन-पत्र के अन्त में उम्मीदवार का हस्ताक्षर अनिवार्य है। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उम्मीदवारी स्वत: रद्द हो जायगी। सभी अंक अंग्रेजी इंटरनेशनल न्यूमरिकल्स में लिखे जाने चाहिए।)

1. उम्मीदवार का पत्रालय जिला ....
2. आयुक्त कार्यालय में प्राप्ति की तिथि ....
3. आयुक्त कार्यालय द्वारा आबंटित रौल नं० ....
4. जिला का कोड -

   (क्रमांक 2, 3, 4 आयुक्त कार्यालय द्वारा भरा जायगा।)

राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो चिपकाएँ।

5. उम्मीदवार का पूरा नाम, हिन्दी में ....

   (क) हिन्दी के साफ अक्षरों में ....

   (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ....

6. पिता/पति का नाम ....

   (क) हिन्दी के साफ अक्षरों म ....

   (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ....

   5. (ख) एवं 6. (ख) में हर एक शब्द के बीच एक खाना हो यदि 30 खाना में पूरा नाम नहीं आए तो बीच के नाम को छोटा कर सकते हैं यथा प्रदीप कुमार गुप्ता को प्रदीप कु० गुप्ता लिखें। नाम के पहले श्री/श्रीमती आदि न लिखें।

7. पत्राचार का पता ....

   (क) हिन्दी के साफ अक्षरों में ....

   पिनकोड -

   (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में

   (हरेक शब्द के बीच एक खाना खाली छोड़ें)

   जिला -

   पिनकोड -

8. स्थायी पता -

   जिला तथा पिनकोड सहित

   हिन्दी के साफ अक्षरों में।

   पिनकोड -

9. जन्म तिथि ....

तारीख महीना वर्ष

माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र के अनुसार जिसे संलग्न कर दें।

नोट - यदि किसी का जन्म 6 जनवरी को हुआ हो तो उन्हें तारीख में "06" तथा महीना में "01" भरना चाहिए।

10. परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित होने की ....

दिन माह वर्ष

11. आरक्षण कोड (शब्दों एवं अंकों में लिखें) -

जैसे अनारक्षित-01, अनुसूचित जाति -02, अनु० जनजाति-03, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-04, पिछड़ा वर्ग-05, गैर अनु०जाति/गैर अनु० जनजाति एवं गैर अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-06, महिला-07

12. शैक्षणिक योग्यताएँ :-

परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	परीक्षा के विषय	अभ्युक्ति

13. दाम्पत्य स्थिति (जो लागू नहीं हो काट दें) :- विवाहित / अविवाहित

14. बिहार राज्य के सरकारी कोषागार में चालान द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में :-

कोषागार का नाम	कोषागार चालान सं०	कोषागार में परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि	बजट शीर्ष	राशि रु०	पै०	कोड नं० कार्यालय द्वारा भरा जायगा।

15. अनुभव एवं नियोजनों का विवरण यदि हों :-

पद का नाम	स्थायी/अस्थायी परीक्ष्यमान	पदग्रहण की तिथि	पदत्याग की तिथि	पदत्याग का कारण	नियोजक का नाम एवं पूरा पता
1-					
2-					
3-					

16. उम्मीदवार का पहचान चिह्न :-

17. आवेदन–पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नकों की सूची :-

1-	2-	3-	4-
5-	6-	7-	8-

18. मैं .... घोषित करता हूँ कि :-

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ तथा बिहार राज्य का स्थायी वासी अधिवासी हूँ।

(ख) इस आवेदन में दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

(ग) मूल दस्तावेज / प्रमाण-पत्र मांग करने पर प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।

(घ) यदि परीक्षा से पूर्व या पश्चात् किसी समय कोई सूचना गलत या असत्य पायी जाएगी तो मेरे विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सकती है और सरकार / प्रमण्डलीय आयुक्त के निर्णय को मानने के लिए मैं बाध्य होऊँगा / होऊँगी।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर।

केवल सरकारी सेवकों के लिए

(विभाग या कार्यालय के प्रधान का प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री .... बिहार सरकार के अधीन एक स्थायी / परीक्ष्यमान / अस्थायी पद पर दिनांक .... से कार्यरत हैं।

2- इनका चरित्र जहां तक मैं जानता हूँ, अच्छा है। यह कार्यालय इन्हें विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए मुक्त कर सकेगा।

पदाधिकारी का हस्ताक्षर -

दिनांक -

पदाधिकारी का नाम -

पदनाम -

विभाग -

आवेदन पत्र खंड-2

प्रमण्डल स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, 199

प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय ············

प्रवेश पत्र

यहाँ पर अपना फोटो चिपकाएँ तथा उसे किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित करावें।

नाम एवं पता :- (केवल इसे परीक्षार्थी स्वयं भरें):-

रौल नं०

(यह आयुक्त कार्यालय द्वारा भरा जायगा)

----

1. आपको यह सूचित करना है कि प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा आपको प्रमण्डल स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, 199 में बैठने की अनुमति दी जाती है।
2. आपका परीक्षा केन्द्र ·· है।
3. परीक्षा के प्रारम्भ से अन्त तक आप अपने, ऊपर अंकित रौल नं० से जाने जायेंगे। अत: यदि कोई भी पत्राचार करना हो तो उसका उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।
4. परीक्षा का विषय एवं स्तर वही रहेगा जो परीक्षा की सूचना में प्रकाशित किया जा चुका है।
5. परीक्षा केन्द्र में आपको बैठने का स्थान जो भी दिया जायेगा उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।
6. परीक्षा में किसी तरह की चोरी, किताब अथवा चिट की सहायता लेना, अन्य परीक्षार्थियों से अथवा वीक्षक से उत्तर के बारे में जानकारी करना या उसका प्रयास किया जाना, वीक्षक अथवा अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से आतंकित करना अथवा उसका प्रयास करना आदि सर्वथा निषिद्ध है। ऐसा किये जाने पर आप न केवल इस परीक्षा से बल्कि भविष्य की सभी परीक्षाओं से बहिष्कृत किये जा सकते हैं।
7. आपके आवेदन पत्र में निम्नांकित त्रुटियां हैं जिन्हें परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व आप आयुक्त कार्यालय में जाकर दूर करा लें :-

   (क) ··

   (ख) ··

   (ग) ··

प्राधिकृत पदाधिकारी

आयुक्त कार्यालय ··············

अनुलग्नक -2

प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय,

प्रमण्डल

क्षेत्रीय कार्यालय में तृतीय वर्गीय पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 199 ....

सूचना

बिहार सरकार के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्नांकित तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों से निम्नांकित पद के लिए संलग्न प्रपत्र में निर्बंधित डाक द्वारा इस सूचना के प्रकाशित होने के इक्कीस दिनों (प्रकाशन की तिथि छोड़कर) के अन्दर आमंत्रित किये जाते हैं ।

आरक्षण खंड

2. पद का नाम और वेतनमान	01	02	03	04	05	06	07	कुल उम्र सीमा
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.								विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित ।
2.								
3.								
4.								
5.								

आरक्षण ग्रेड निम्न प्रकार है :-

1. अनारक्षित
2. अनुसूचित जाति
3. अनुसूचित जनजाति
4. अत्यन्त पिछड़ी जाति
5. पिछड़ी जाति
6. गैर अनु० जाति/गैर अनु० जन जाति/गैर अन्य पिछड़ी जाति के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग ।
7. महिला ।

3. परीक्षा शुल्क :- परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए यथावत् भरे हुए आवेदन पत्र के साथ कोषागार चालान के रूप में अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों को 7.50 (सात रुपये पचास पैसे) तथा अन्य उम्मीदवारों को रु० 25/- (पच्चीस रुपये) मात्र की रकम देनी होगी। परीक्षा शुल्क की रकम बजट शीर्ष ''0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं तथा अन्य सेवाएं'' के अन्तर्गत बिहार राज्य के सरकारी कोषागार में जमा की जानी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ चालान की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

4. **शारीरिक क्षमता :- उम्मीदवारों को नैतिक एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना।**

5. **परीक्षा :-** उम्मीदवारों को लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं गणित की ली जायेगी। लिखित परीक्षा का प्रत्येक पत्र डेढ़ घंटे का होगा एवं प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 होगा ।

लिखित परीक्षा के विषयों के पाठ्यक्रम निम्न प्रकार रहेंगे ।

(क) सामान्य हिन्दी-बिहार माध्यमिक परीक्षा बोर्ड के स्तर का होगा ।

(i) निबंध - 30 अंक (ii) पत्र लेखन - 30 अंक

(iii) वाक्य विन्यास - 20 अंक (iv) व्याकरण - 20 अंक

(ख) सामान्य ज्ञान (सामान्य विज्ञान एवं सामयिक घटनाओं के साथ) -

इस पत्र में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भूगोल तथा सामयिक घटनाएं एवं विज्ञान पर ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिसका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के दे सकते हैं ।

(ग) गणित - इसका स्तर एवं पाठ्यक्रम बिहार माध्यमिक परीक्षा बोर्ड के स्तर पर रहेगा ।

6. आवेदन पत्र देने की विधि :- (क) उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में आवेदन देना है। आवेदन पत्र फूलस्कैप साइज के (31 सेंटीमीटर × 21 सेंटीमीटर) कागज पर अंकित कराकर अथवा साफ-सुथरे अक्षरों में डॉटपेन (बॉल पेन) से भरा रहना तथा आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ तथा अपना पता लिखित एवं रजिस्ट्रीकरण हेतु आवश्यक स्टाम्प लगा, दो लिफाफा (21 सें०मी० × 13 सें०मी०) संलग्न रहना चाहिए।

(ख) निर्धारित आवेदन पत्र में यदि उम्मीदवार का नाम अंग्रेजी में 30 खाना में नहीं जा सके तो मध्य नाम को छोटा कर सकते हैं जैसे :- रीतेश कुमार सिन्हा (रीतेश कु० सिन्हा) लिख सकते हैं। नाम एवं उपाधि के बीच एक घर खाली छोड़ दें।

(ग) पिता या अभिभावक या अपने नाम के पहले "श्री" इत्यादि न लगावें। जन्म तिथि अंग्रेजी अंक में लिखें।

(घ) पत्राचार का पता में अपना नाम न लिखें ।

7. फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर :- आवेदक को आवेदन पत्र एवं एडमीट कार्ड पर निर्दिष्ट स्थान पर राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाना चाहिये। फोटो इस प्रकार अभिप्रमाणित होना चाहिए कि हस्ताक्षर एवं मोहर के कुछ अंश फोटोग्राफ पर एवं कुछ अंश कागज पर पड़ने चाहिये ।

8. उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात अवश्य संलग्न करें :-

(क) उम्र के प्रमाण में प्रवेशिका प्रमाण पत्र की फोटो स्टेट एवं सत्यापित प्रतिलिपि ।

(ख) न्यूनतम योग्यता के प्रमाण में प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की फोटो स्टेट एवं सत्यापित प्रतिलिपि

(ग) प्रवेशिका स्तर के प्राप्तांक की फोटो स्टेट एवं सत्यापित प्रतिलिपि ।

(घ) यदि आरक्षण का दावा करते हैं तो जाति एवं आय प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति ।

कोषागार चालान की मूल प्रति।

(च) अपना पता लिखा हुआ एवं रजिस्ट्रीकरण हेतु आवश्यक स्टाम्प सटा हुआ दो लिफाफा ।

9. सरकारी सेवकों को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से भेजना चाहिए लेकिन उम्मीदवार यदि चाहें तो अग्रिम प्रति सीधे प्रमण्डलीय आयुक्त को भेज सकते हैं ।

10. जाति प्रमाण पत्र – **सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र को मान्यता दी जायेगी।** जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये निम्नलिखित पदाधिकारी **प्राधिकृत हैं :-**

(i)	जिला दण्डाधिकारी	(ii)	**अनुमण्डल पदाधिकारी**
(iii)	परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी	(iv)	**प्रखण्ड विकास पदाधिकारी**
(v)	अंचलाधिकारी	(vi)	**प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी**
(vii)	जिला कल्याण पदाधिकारी	(viii)	अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी

11. आय प्रमाण पत्र गैर अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जनजाति एवं गैर अन्य पिछड़ावर्ग आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र देना होगा । पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को भी जाति प्रमाण पत्र के साथ सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र देना होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा ।

12. आरक्षण के दावेदार उम्मीदवारों को नियुक्ति के पूर्व जिला पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रतिहस्ताक्षर जाति प्रमाण पत्र / आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

13. जो उम्मीदवार अपने मूल आवेदन में आरक्षण का दावा नहीं करेंगे उन्हें अनारक्षित कोटि के उम्मीदवार माना जायेगा, जिसे बाद में प्रमाण पत्र देने पर भी आरक्षण कोटि में संशोधन नहीं किया जायेगा ।

14. प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिये किसी भी उम्मीदवार की योग्यता एवं अयोग्यता के संबंध में प्रमण्डलीय आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।

15. परीक्षा की तिथि एवं स्थान क्रमशः राज्य सरकार अथवा प्रमण्डलीय आयुक्त घोषित करेंगे तथा वे ही आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्त्तन कर सकेंगे ।

16. कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में प्राप्त अंकों में संदेह होने पर परीक्षाफल की घोषणा की तिथि से 15 दिनों के अन्दर प्राप्तांकों का पुनः योग अंकों का जोड़ करा सकते हैं। इसके लिये उन्हें पच्चीस रुपये प्रति विषय की दर से फीस की राशि बिहार राज्य के किसी भी सरकारी कोषागार चालान के द्वारा बजट शीर्ष "070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ अन्य सेवाएँ" के अन्तर्गत जमा करना होगा। कोषागार चालान की मूल प्रति संलग्न करते हुए परीक्षा के प्राप्तांकों के पुनः योग के लिये प्रमण्डलीय आयुक्त से अनुरोध करना होगा। इस पर प्रमण्डलीय आयुक्त का आदेश अंतिम होगा।

17. आवेदन पत्र प्रमण्डलीय आयुक्त ....के पते पर निबंधित डाक से दिनांक .... तक प्राप्त हो जाना चाहिये। अपूर्ण त्रुटिपूर्ण अथवा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

....

प्रमण्डलीय आयुक्त,

....................प्रमण्डल................

अधियाचना-पत्र

विभाग एवं कार्यालय का नाम :- ....

1. रिक्त पद का नाम :- ....
2. आरक्षण पर रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त करने की संख्या एवं तिथि :- ....
3. रिक्तियों की कुल संख्या एवं आरक्षणवार विवरण :- ....

1. अनारक्षित	
2. अनुसूचित जाति	
3. अनुसूचित जनजाति	
4. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	
5. पिछड़ा वर्ग	
6. गैर-अनुसूचित जाति, जनजाति एवं गैर अन्य पिछड़े वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	
7. महिला वर्ग	
कुल योग	

4. सेवा जिसमें रिक्ति है :- ....
5. कार्य क्षेत्र जहाँ सेवा अपेक्षित है :- ....
6. अपेक्षित योग्यता :-
   (क) शैक्षणिक (आवश्यक एवं वांछनीय अलग-अलग) ....
   (ख) अनुभव ....
7. वेतनमान / विशेष वेतन इत्यादि :- ....
8. और कोई सुविधा, यथा नि:शुल्क आवास, इत्यादि :- ....
9. और कोई योग्यता जिसका उल्लेख ऊपर के शीर्ष में नहीं है :- ....
10. परीक्ष्यमान नियुक्ति की अवधि :- ....
11. पद स्थायी / अस्थायी है, यदि अस्थायी है तो उसकी अवधि : ....
12. पेंशन की सुविधा है या नहीं :- ....
13. छुट्टी की सुविधा है या नहीं :- ....

14. यदि विशिष्ट लिखित परीक्षा लेना हो तो
उसके विषय :- जैसे टंकण, आशुटंकण आदि।

तिथि .... नियुक्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर..

कार्यालय का नाम एवं पता .... नाम ....

.... पदनाम ....

दूरभाष...

अनुलग्नक-4

प्रमण्डल स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, 199

.... प्रमण्डल ....

उपस्थिति - पत्र

केन्द्र का नाम ....

विषय :- हिन्दी / सामान्य ज्ञान / गणित

(जो आवश्यक नहीं हो उसे काट दें)

नोट :- हर विषय के लिए अलग-अलग उपस्थिति-पत्र व्यवहार में लाए जायेंगे।

क्रमांक	रौल नं०	नाम	परीक्षार्थी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

नोट :- जो परीक्षार्थी उपस्थित नहीं हो उनके नाम के सामने परीक्षा के अन्त में ''अनुपस्थित'' अंकित कर दें।

वीक्षक का हस्ताक्षर / केन्द्राधीक्षक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक-5

प्रमण्डल स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा

.... प्रमण्डल ....

कोड संख्या

प्रश्न-वार प्राप्तांक :-

प्रश्न संख्या - 1 -

प्रश्न संख्या - 2 -

प्रश्न संख्या - 3 -

प्रश्न संख्या - 4 -

प्रश्न संख्या - 5 -

प्रश्न संख्या - 6 -

प्रश्न संख्या - 7 -

प्रश्न संख्या - 8 -

प्रश्न संख्या - 9 -

प्रश्न संख्या - 10 -

प्रश्न संख्या - 11 -

प्रश्न संख्या - 12 -

प्रश्न संख्या - 13 -

प्रश्न संख्या - 14 -

प्रश्न संख्या - 15 -

कुल जोड़ :-

परीक्षक का हस्ताक्षर (पूरा नाम भी दें)

मुख्य जाँचकर्त्ता का हस्ताक्षर (पूरा नाम भी दें)

प्रमण्डल स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा

.... प्रमण्डल ....

----

1. परीक्षार्थी का नाम ....
2. जिले का नाम ....
3. परीक्षा केन्द्र का नाम ....
4. रौल नम्बर ....
5. विषय ....
6. तिथि ....

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर

कोड संख्या

(इसमें परीक्षार्थी कुछ नहीं भरें)

(इसमें कोड सं० अंकित किया जाएगा)

वीक्षक का हस्ताक्षर।

कुल प्राप्तांक..............................

डी-कोडिंग करने वाले सरकारी सेवक का हस्ताक्षर.......

अनुलग्नक-6

प्रमण्डल स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 199

……………प्रमण्डल ……………

परीक्षा केन्द्र का नाम ……………………………………………………………………………

टेबुलेशन-शीट

क्रमांक	परीक्षार्थी का कोड सं०	प्राप्तांक			कुल प्राप्तांक	अभ्युक्ति
		हिन्दी	सामान्य ज्ञान	गणित		
1	2	3	4	5	6	7

जाँचकर्ता का हस्ताक्षर
एवं पूरा नाम ।

मुख्य जाँचकर्त्ता का हस्ताक्षर
एवं पूरा नाम ।

नोट :- 1. जिस परीक्षार्थी की जो उत्तर पुस्तिका अनुपलब्ध हो उसके उस विषय / विषयों में "अनुपस्थित" अंकित कर दें ।

2. सभी प्राप्तांक अंग्रेजी अंकों (न्यूमेरिकल्स) में भरे जायेंगे, हिन्दी अंकों में नहीं।

3. यह दो प्रतियों में भरा जायेगा ।

------

[3]

पत्र संख्या-3/सी-2-60108/94 का० 10063

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री ए० बी० प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 11 सितम्बर, 1998

विषय :- सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-3974/1992, 12268/1992 एवं 12453/1993 में पारित आदेश दिनांक 7.12.1994 के अनुपालन के क्रम में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं०-3/सी2-60108/94 का०-2822 दिनांक 27.4.1995 निर्गत किया गया था । उक्त पत्र की कंडिका-3, 4, 5 एवं 6 में स्पष्ट दिशानिर्देश सूचित किया गया है, जिसके अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर अनुकम्पा समिति जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में यथावत रहने की सूचना दी गयी थी (कंडिका-3)(ख) । केवल मात्र सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में निर्णय लेने के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया था ।

2. इधर यह देखा जा रहा है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के बाहर कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले भी केन्द्रीय अनुकम्पा समिति के विचारार्थ भेज दिये जाते हैं। जबकि मामला कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से संबंध नहीं रखता है एवं तदनुसार विभाग के निर्णय का संसूचन करने के चलते अनावश्यक विलम्ब होता है। कुछ मामलों में समय-सीमा क्षान्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में ऊपर उल्लिखित निर्गत विभागीय पत्र सं०-2822 दिनांक 27.4.95 की कंडिका-6 स्वत: स्पष्ट है। इस संबंध में अगर कोई विशेष सम्पर्क स्थापित किया जाता है तो संबंधित विभाग (जिस विभाग के कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के चलते मामला का शुरुआत हुआ है) कार्यपालिका नियमावली के अन्तर्गत आगे की कार्रवाई कर सकती है ।

3. अत: अनुरोध है कि मात्र सचिवालय एवं सचिवालय के संलग्न कार्यालयों के कार्यरत कर्मचारियों के मृत कार्यरत कर्मचारियों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के मामले ही केन्द्रीय अनुकम्पा समिति के विचारार्थ विभागीय सचिव की स्पष्ट अनुशंसा के साथ संचिका के माध्यम से भेजी जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- ए० बी० प्रसाद
सरकार के अपर सचिव ।

-----

[4]

पत्र संख्या-3/सी2-60117/97-का० 8093

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अरुण भूषण प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 25 जुलाई, 98

विषय :- **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया—अधिकतम उम्र की क्षान्ति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार मुझे कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं०-13293 दिनांक 5.10.1991 द्वारा निर्गत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की नयी प्रक्रिया की कंडिका-3 में नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता का कड़ाई से पालन किये जाने का प्रावधान निरूपित किया गया है । उक्त प्रावधान के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने हेतु विभागीय परिपत्र सं०-10838 दिनांक 1-11-1993 के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया कि बिहार सेवा संहिता के नियम-54 परिशिष्ट-1 के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त करने के लिए विभागाध्यक्ष / विभाग को विशेष परिस्थिति में जो प्रावधान है, उसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में प्रयोग करना नियमानुकूल नहीं है ।

2 - सरकार के समक्ष ऐसे कई मामले आये जब मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की आयु सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक होने के कारण उक्त आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पाया है, फलतः उक्त मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

3 - सम्यक् विचारोपरान्त सरकार ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं०-10838 दिनांक 1-11-1993 को निरस्त करते हुए यह निर्णय लिया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में बिहार सेवा संहिता के नियम 54 के परिशिष्ट-1 के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त करने के लिए विभागाध्यक्ष / विभाग को विशेष परिस्थिति में जो प्रावधान है, उसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में भी लागू समझा जाय, बशर्ते कि आवेदन समय-सीमा के अन्तर्गत दिया गया हो ।

4 - यह आदेश परिपत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन,
ह०/- ए० बी० प्रसाद
सरकार के अपर सचिव ।

[5]

पत्र संख्या-7/च०प०-101/98 का० 2553

अति आवश्यक

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री नवीन कुमार

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव / सचिव / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना – 15, दिनांक 9 मार्च, 1998

विषय :- बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा राजपत्रित एवं वर्ग-3 के विभिन्न अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कट ऑफ डेट का निर्धारण ।

महाशय,

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली राजपत्रित पदों एवं वर्ग–3 के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं के परीक्षाफल के प्रकाशन के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट में वृद्धि के लिए बहुधा आवेदन पत्र दिये जाते हैं तथा उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में कई बार याचिकाएँ भी दायर की जाती रही हैं ।

अत: इस विषय पर भलीभाँति विचार कर राज्य सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होनेवाली राजपत्रित एवं वर्ग–3 के विभिन्न अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कट ऑफ डेट के निर्धारण के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया है :-

1. जिस कैलेण्डर वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु अधियाचना भेजी जाय उस वर्ष का 1 अगस्त उस परीक्षा हेतु कट ऑफ डेट निर्धारित किया जाय अर्थात् अधियाचना के वर्ष के 1 अगस्त तक की सभी रिक्तियों को उक्त परीक्षा से भरा जाय। उदाहरणस्वरूप यदि वर्ष 1998 में परीक्षा आयोजित करने हेतु अधियाचना भेजी जाती है तो 1 अगस्त, 1998 तक की सभी रिक्तियाँ आयोग को उपलब्ध करायी जायं ।

2. सभी विभाग नियुक्ति हेतु पदों की रिक्तियों की सूचना बिहार लोक सेवा आयोग को विज्ञापन प्रकाशित करने के पूर्व निश्चित रूप से भेजेंगे ताकि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन में रिक्त पदों की वास्तविक संख्याओं का उल्लेख किया जा सके ।

3. किसी भी परिस्थिति में निर्धारित कट ऑफ डेट का अवधि विस्तार नहीं किया जाय ।

कृपया इस आदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय तथा पत्र-प्राप्ति की सूचना कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- नवीन कुमार

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/च०प०-101/98का० 2553 पटना-15, दिनांक 9 मार्च, 1998

प्रतिलिपि, सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- नवीन कुमार

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/च०प०-101/98 का० 2553 पटना-15, दिनांक 9 मार्च, 1998

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

ह०/- नवीन कुमार

सरकार के सचिव ।

------

[6]

पत्र संख्या-3/एम 1-1052/96 का० 7003

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अरुण भूषण प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 31 जुलाई, 1997

विषय :- सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में जीपचालक / चालक के पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के वैसे सभी तकनीकी पद, जिनके लिए तकनीकी ज्ञान आवश्यक हो, की नियुक्ति हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं०-5939 दिनांक 18.6.1993 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गयी है । उक्त संकल्प के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों में जीप चालक / चालक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित नहीं होने के कारण उन पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में विभिन्न जिला दण्डाधिकारियों / उपायुक्तों द्वारा सरकार से समय-समय पर दिशानिर्देश / मार्गदर्शन की याचना की जाती रही है । उक्त दिशानिर्देश / मार्गदर्शन के अभाव में नियुक्ति की कार्रवाई लंबित रहने के कारण उन जिला दण्डाधिकारियों / उपायुक्तों द्वारा जीपचालक / चालक के पदों पर दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्तियाँ की गई हैं । बाद में दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्त उन जीप चालक / चालक के पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण उन व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना / राँची बेंच, राँची में सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-3865/1995 (आर) अखिलेश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य का मुकदमा दायर किया गया, जिसमें दिनांक 3.7.96 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित न्यायादेश पारित किया गया है :- Accordingly, I direct the respondents to fill up the posts of jeep driver / driver, which are lying vacant under the jurisdiction of respondents nos. 2 and 3 on regular basis. The appointment is to be made after advertisement, selection through a committee, following the guidelines relating to reservation etc. if any. In any case, they should fill up the regular posts of jeep driver / driver within a period of six months from the date of receipt / production of a copy of this order. Till the regular appointment is made, the petitioner should be paid the minimum daily wages, as has been prescribed by the State Government.

2 - माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायादेश के संदर्भ में विधि विभाग का भी परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग ने यह परामर्श दिया है कि चूँकि मामला कालबाधित हो गया है, अतएव इसमें एस०एल०पी० भी दायर नहीं किया जा सकता ।

अतएव माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायादेश एवं विधि विभाग के परामर्श के आलोक में जीपचालक / चालक के पदों पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं०-5939 दिनांक 18.6.93 की कंडिका-1(छ) में विहित प्रावधान के अनुसार नियुक्ति करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- अरुण भूषण प्रसाद

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या - 7003 पटना-15, दिनांक 31 जुलाई, 1997

प्रतिलिपि :- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सरकार के सभी विभाग के सचिव / विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- अरुण भूषण प्रसाद

सरकार के अपर सचिव ।

------

[7]

पत्र संख्या-3/एम 1-106/96 का० 5298

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री मदन मोहन मिश्र,

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी समाहर्त्ता / उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 14 जून, 1997

विषय :- तकनीकी प्रकृति के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।

महाशय,

निदेशानुसार उपुर्यक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के तकनीकी पद जिनके लिये तकनीकी ज्ञान अनिवार्य हो के पद पर जब तक नई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जाती है तब तक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र 5939 दिनांक 18.6.93 में विहित प्रावधानों के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

ह०/- मदन मोहन मिश्र

सरकार के उप सचिव ।

------

[8]

पत्र संख्या-3/एम 1-101/97-का० 3577

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी० पी० वर्मा,
मुख्य सचिव, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष /सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 25 अप्रील, 1997

विषय :- चतुर्थवर्गीय पदों के लिए नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक **कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र** सं०-3/आर 1-103/70 नि०-13984 दिनांक 17.8.71 एवं 3/आर 1-103/73 का०-16441 दिनांक 3.12.80 के क्रम में मुझे कहना है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रियाओं का निरूपण किया जा चुका है, फिर भी विभिन्न स्तरों से पैनेल तैयार करने के संबंध में दिशानिर्देश की अपेक्षा की जाती रही है । अत: सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए निम्नांकित आधार एवं प्रक्रियाओं का निरूपण पुन: किया जा रहा है, जिसके आलोक में ही पैनेल तैयार किया जाय :-

1- उम्मीदवार को नियोजनालय में निबंधित होना आवश्यक होगा ।

2- इनकी शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग के ऊपर एव प्रवेशिका या इससे नीचे की होगी ।

3- उम्मीदवार को स्वस्थ होना आवश्यक होगा ।

4 - उम्मीदवार को साईकिल चलाना जानना आवश्यक होगा ।

5 - अन्य बातें समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी।

6- पूर्व पैनेल के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वरीयता के अनुसार अधिमानता दी जायेगी ।

7- रिक्तियों का आकलन प्रत्येक वर्ष करने के पश्चात ही वास्तविक एवं संभावित रिक्तियों के अनुसार जिला पैनेल तैयार किया जायेगा ।

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं०-16441 दिनांक 3.12.80 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार पैनेल से ही रिक्तियों के अनुसार नियुक्ति की जायेगी । यह पैनेल मात्र एक वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा तथा वर्ष समाप्ति के बाद स्वत: समाप्त हो जायेगा ।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं०-13984 दिनांक 17.8.71 एवं परिपत्र सं०-16441 दिनांक 3.12.80 में उल्लिखित शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

विश्वासभाजन,
ह०/- बी०पी० वर्मा
सरकार के मुख्य सचिव ।

------

[9]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- **सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि ।**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं०-1600 दिनांक 4.2.91 द्वारा सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी थी :-

1-	अनारक्षित	35 वर्ष
2-	पिछड़ा / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष
3-	महिला (अनारक्षित पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष
4-	अनु० जाति / अनु० जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष

राज्य में बेरोजगारों की समस्या तथा बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं०-1600 दिनांक 4.2.91 द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1.1.96 से अगले पांच वर्षों अर्थात् 31.12.2000 तक प्रभावी रहेगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/ - बी०के० श्रीवास्तव

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-3/एम 1-250/91 का० 2212 पटना, दिनांक 28 फरवरी, 1996

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन के लिए अग्रसारित ।

अनुरोध है कि इसकी 1000 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

ह०/- बी०के० श्रीवास्तव

सरकार के अपर सचिव ।

----

[10]

पत्र संख्या-8/पी3-08/95-का० 11315

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी०के० श्रीवास्तव,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /
सभी समाहर्त्ता /
सभी उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 8 दिसम्बर, 1995

विषय :- **सभी जिला समाहर्त्ताओं एवं उपायुक्तों के निजी सहायक के पद पर नियुक्ति के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि सभी जिलों के समाहर्त्ता एवं जिलों के उपायुक्तों के निजी सहायक के पद पर नियुक्ति करने के संबंध में अपने-अपने अधीनस्थ जिलों के अनुसचिवीय संवर्ग एवं आशुलिपिक संवर्ग से योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में नियमानुसार चयन समिति गठित कर अनुशंसा प्राप्त करते हुए शीघ्र चयनित उम्मीदवारों का नाम उपलब्ध कराया जाय, ताकि निजी सहायक के रिक्त पद पर शीघ्र नियुक्ति की कार्रवाई की जा सके ।

2. चयनित/अनुशंसित उम्मीदवारों की विगत पाँच वर्षों की गोपनीय चारित्रियाँ एवं सेवा पुस्त मूलरूप में संलग्न कर भेजा जाय ।

3. कृपया इसे अत्यावश्यक समझें, एवं इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई किया जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- बी०के० श्रीवास्तव,
सरकार के अपर सचिव ।

------

[11]

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 अग्रहायण, 1917 (श०)

(सं० पटना, 508) पटना, बुधवार, 20 दिसम्बर, 1995

सं० 3/एम 1-1097/90-11243- का०

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

6 दिसम्बर, 1995

विषय—सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 3/एम 1-1097/90-का-5939, दिनांक 16 जून 1993 के द्वारा सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया निरूपित की गयी है। निरूपित प्रक्रिया के बाद भी वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्य सरल एवं प्रभावकारी रूप से नहीं हो रहा है। इस संबंध में जिला कार्यालय के नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कतिपय कठिनाइयों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है । इन समस्याओं पर सम्यक् विचारोपरान्त इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी परिपत्रों को अवक्रमित करते हुए वर्ग 3 पदों पर नियुक्ति की निम्न प्रक्रिया निरूपित की जाती है :—

(1) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों को छोड़कर क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग 3 के 50 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत पद चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों से भरे जायेंगे ।

(2) सीधी नियुक्ति के 50 प्रतिशत पदों तथा 50 प्रतिशत पद चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों से भरने के लिये अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी और उसके आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जायेगी ।

सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया--

(3) बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन जिला स्तरीय केन्द्रों पर करेगा ।

(4) सभी जिला स्तरीय केन्द्रों पर एक ही दिन परीक्षा का आयोजन होगा ।

(5) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की रिक्तियाँ कलेन्डर वर्ष के प्रारम्भ में उस वर्ष होने वाली संभावित कुल रिक्तियों की गणना की जायगी । इन रिक्तियों को जिलावार आरक्षण अनुदेश के अनुसार कोटिवार रिक्तियों के रूप में आकलित किया जायगा ।

(6) रिक्तियों की सूचना जिला पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के नियुक्ति पदाधिकारी जिलावार आरक्षण कोटि के अनुसार आयोग को उपलब्ध करायेंगे ।

(7) नियुक्ति हेतु निम्नतम शैक्षणिक योग्यता प्रवेशिकोत्तीर्ण (मैट्रिक पास) होगी । समय-समय पर सरकार द्वारा सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु निर्धारित आयु सीमा लागू होगी ।

(8) लिखित परीक्षा तीन विषयों यथा हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं गणित में ली जायगी । प्रत्येक पत्र तीन घंटे का होगा तथा प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 (एक सौ) का होगा। हिन्दी विषय में कम-से-कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा यह विषय मात्र योग्यता प्रदायी विषय रहेगा। शेष दो विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर ही मेधा सूची आरक्षणवार / कोटिवार तैयार की जायगी ।

(9) परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले उम्मीदवारों को सरकार की स्वीकृति से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। परीक्षा की तिथि एवं कार्यक्रम की घोषणा बिहार लोक सेवा आयोग (सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के माध्यम से) समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर लाएगी ।

(10) इसमें आशुटंकक के पद छोड़कर सरकार के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग 3 के सभी पद आयेंगे चाहे उसके नियुक्ति पदाधिकारी राज्य स्तरीय, प्रमण्डलीय स्तर अथवा जिला स्तरीय पदाधिकारी हों ।

(11) इस प्रतियोगिता परीक्षा में कार्यरत चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हो सकते हैं, बशर्ते वे नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताएं रखते हों एवं निर्धारित आयु सीमा के अन्दर हों ।

(12) बिहार लोक सेवा आयोग सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची जिलावार अभ्यर्थियों के मूल आवेदन-पत्र एवं कागजातों के साथ सम्बद्ध जिला पदाधिकारी को भेजेंगे। उक्त सूची के आधार पर जिला स्तरीय निम्नरूप से गठित समिति विभिन्न सरकारी विभागों में मेधानुक्रम एवं रिक्ति के अनुसार नियुक्ति हेतु आवंटन करेगी :-

(1) जिला पदाधिकारी – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

(2) विभिन्न प्रशासी विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों में से एक पदाधिकारी वर्षवार परिवर्त्तन (Yearwise Rotation) के आधार पर एक वर्ष के लिये एक बार ।

(3) अनुसूचित जाति / जन-जाति के एक पदाधिकारी।

(4) अल्पसंख्यक समुदाय के एक पदाधिकारी वर्षवार परिवर्त्तन (Yearwise Rotation) के आधार पर ।

(5) पिछड़ी जाति वर्ग 1 एवं वर्ग 2 का एक प्रतिनिधि, वर्षवार परिवर्त्तन (Yearwise Rotation) के आधार पर ।

(6) समाहरणालय के स्थापना उप-समाहर्त्ता — सदस्य सचिव ।

(13) जिन कार्यालयों में सफल अभ्यर्थियों का आवंटन होगा उनकी नियुक्ति करने का दायित्व उस कार्यालय के नियुक्ति पदाधिकारी पर होगा, जिसे सभी सम्बद्ध विभाग सुनिश्चित करेंगे और इसका उल्लंघन राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया जायेगा ।

(14) मेधा सूची का पैनेल एक वर्ष के लिये ही प्रभावी होगा । इसके आलोक में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रत्येक वर्ष करना होगा और इसे सुनिश्चित करने के लिये बिहार लोक सेवा आयोग अग्रिम कार्यक्रम

तैयार करेगा । बिहार लोक सेवा आयेग ही क्रमश: ऑब्जेक्टिव प्रश्न-पत्र लागू किये जाने पर विचार करेगा ताकि कम्प्यूटर के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल कम समय में तैयार हो जाय ।

वर्ग 4 के सरकारी सेवकों द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा : -

(15) क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग 3 के रिक्त 50 प्रतिशत पदों को वर्ग 4 के सरकारी सेवकों द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही भरा जायेगा । इसके लिये सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायगा । बिहार लोक सेवा आयोग सभी जिलों के इस तरह के रिक्त पदों के लिये वर्ष में एक बार एक ही दिन सभी जिला केन्द्रों के माध्यम से परीक्षा आयोजित करेगा ।

(16) परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग आरक्षण के अनुसार जिलावार / कोटिवार मेधा सूची तैयार करेगा और जिलावार अनुशंसा सम्बद्ध जिला पदाधिकारी को भेजेगा ।

(17) इस सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में वर्ग 4 के वे ही सरकारी सेवक सम्मिलित होने के हकदार होंगे जिनकी सेवा न्यूनतम पांच वर्ष पूरी हो चुकी हो ।

(18) आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्तियों के अनुसार मेधा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर कंडिका 12 में गठित समिति ही विभाग आवंटित करेगी तथा नियुक्ति पदाधिकारी को अभ्यर्थियों से संबंधित सभी मूल कागजात उक्त विभाग के नियुक्ति पदाधिकारी को भेज देगी ।

(19) सम्बद्ध कार्यालय के नियुक्ति पदाधिकारी जिला समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति आदेश निर्गत करेंगे ।

(20) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिये हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान के साथ दो ही पत्र प्रत्येक 100 (एक सौ) अंक के होंगे । हिन्दी विषय मात्र योग्यता प्रदायी विषय होगा।

(21) इस प्रतियोगिता परीक्षा का पैनेल भी एक वर्ष के लिये ही प्रभावी रहेगा।

आदेश-- (1) आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

(2) यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार/सरकार के सभी विभाग/सरकार के सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित की जाय।

(3) राज्य सरकार के अधीन सभी स्वशासी बोर्ड, निकायों, निगमों, कम्पनियों एवं विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत सभी स्तर की (वर्ग 4 एवं उसके समकक्ष पदों को छोड़कर) नियुक्तियाँ उपर्युक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत होंगी । इसे सुनिश्चित करने के लिये सम्बद्ध विभागों द्वारा आवश्यक अनुदेश तुरत निर्गत किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
एस०एन० विश्वास,
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र सं०-3/एम 1-1096/94 का० 10799

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस०एन० विश्वास,
आयुक्त एवं सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

सेवा में,

सभी विभाग के आयुक्त एवं सचिव /
सभी विभागाध्यक्ष /
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 15 नवम्बर, 1994

विषय :- वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में निदेश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कहना है कि दिनांक 6.9.94 की राज्य स्तरीय बैठक में क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के रिक्त पदों को भरने का निदेश सरकार द्वारा दिया गया था । इस संदर्भ में जिला पदाधिकारियों द्वारा चकबन्दी के अतिरेक कर्मचारियों के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-50/रा० दिनांक 17.1.94 के संबंध में स्पष्ट निदेश की अपेक्षा की गयी थी ।

2. राज्य सरकार ने समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के रिक्त पदों को भरने का निदेश उच्च स्तरीय बैठक में दिया गया था । अतः चकबन्दी योजना के अतिरेक कर्मचारियों के समायोजन जो हो चुका है उसके बाद रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई में व्यवधान नहीं होना चाहिए ।

3. अतः अनुरोध है कि कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग के परिपत्र संख्या 4064 दिनांक 16.4.94 तथा उच्च स्तरीय समिति की बैठक में दिए गए निदेशों के अनुसार रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- एस०एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव

पत्र संख्या-4248

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक,

श्री एस०एस० वर्मा,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी / उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 2 सितम्बर, 1994

विषय :- **क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि यह निर्णय लिया गया था कि क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्त पदों को कार्यहित में शीघ्रातिशीघ्र भरा जाय। इस निमित्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-5939 दिनांक 18.6.93 द्वारा नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया भी निर्धारित की गयी थी । इसी क्रम में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अपने पत्र संख्या - 4069 दिनांक 16.4.94 द्वारा उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुसार की गयी कार्रवाई के संबंध में वास्तविक एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया था।

2- सरकार को सूचना मिली है कि अभी तक क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न पद रिक्त पड़े हुए हैं जिससे विकास से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं । इस परिप्रेक्ष्य में सरकार चाहती है कि रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्ति करने की कार्रवाई में तीव्रता लायी जाए ।

3- अतः कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत किये गये उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाय एवं अद्यतन प्रतिवेदन दिनांक 15.9.94 तक अनिवार्य रूप से मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा जाय ।

4- इस मामले की समीक्षा सरकार द्वारा तीन सप्ताह के बाद की जायेगी ।

5- कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस०एस० वर्मा

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप सं०-4248 पटना-15, दिनांक 2 सितम्बर, 1994

प्रतिलिपि:- आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- एस०एस० वर्मा

सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या-एम 4-54/93/3666/वि० (2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

पटना, दिनांक 23 जुलाई, 1994

श्री संत कुमार सिन्हा,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सदस्य, राजस्व पर्षद / उपाध्यक्ष, योजना पर्षद / अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो विकास आयुक्त / विकास आयुक्त, बीस सूत्री कार्यक्रम/ सभी विभागों के आयुक्त-सह-सचिव / सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी / उपायुक्त / सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 1994-95 में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु मितव्ययिता परिपत्र का शिथिलीकरण ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 8560 दिनांक 30.12.86 में प्रावधान है कि छ: माह से अधिक से सीधी नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध रहेगा । गैर योजना मद में उक्त पत्र की कंडिका-2 में रिक्त पदों को भरने का क्रम भी दिया गया है । उक्त परिपत्र को इस विभाग के पत्रांक 5932 दिनांक 24.11.90 में निहित शर्तों के साथ वर्ष 1990-91 के लिए शिथिल किया गया । उक्त मितव्ययिता परिपत्र को वित्त विभाग के परिपत्र 4050 दिनांक 9.6.93 के द्वारा 31.12.93 तक के लिए शिथिल किया गया था ।

2 - प्रशासनिक आवश्यकताओं के हित में पुन: शिथिलीकरण की अवधि विस्तार की आवश्यकता महसूस की गई है ।

3 अतएव राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता परिपत्र संख्या-8560 दिनांक 30.12.86 की कंडिका-3 को तिथि 31.3.95 तक प्रसंगाधीन शिथिलीकरण आदेश दिनांक 24.11.90 में निहित शर्त के साथ शिथिल करने का निर्णय लिया गया है ।

4 सीधी नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा निर्गत अनुदेशों व अन्य नियमों का पालन करते हुए की जायेगी ।

यह आदेश 31.3.95 तक प्रभावी रहेगा ।

विश्वासभाजन,
ह०/- संत कुमार सिन्हा
सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग ।

पत्रांक का० 4069

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस०एन० विश्वास, आयुक्त एवं सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 16 अप्रील, 1994

विषय :- जिला में रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या-5939 दिनांक 18-6-93 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार जिला में नियुक्ति हेतु मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया जा चुका है । सरकार को सूचना मिली है कि जिलों के अन्तर्गत पद रिक्त रहने के कारण विकास से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन में कठिनाई हो रही है । कार्यहित में रिक्त पदों को भरना अति आवश्यक है।

2- आपके जिले में वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं, उन रिक्तियों को भरने की दिशा में अब तक कौन-सी कार्रवाई की गयी है, और यदि कार्य प्रारंभ कर दी गयी है तो वह कार्य कितनी अवधि में पूर्ण हो जायेगी, इन बिन्दुओं पर सरकार वास्तविक तथा अद्यतन स्थिति से अवगत होना चाहती है ।

अत: अनुरोध है कि अपने जिला में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई दिनांक 18-6-1993 के संकल्प के प्रावधानों के अनुसार अविलम्ब प्रारम्भ करें तथा निम्नलिखित स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब अवगत करावें ताकि वास्तविक स्थिति सरकार के समक्ष रखी जा सके :-

(क) जिला में वर्तमान कुल रिक्तियाँ - वर्गवार ।

(ख) नियुक्ति हेतु अबतक क्या कार्रवाई की गयी है तथा रिक्त पदों को भरने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण ।

(ग) रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई कितने दिनों में पूरी कर ली जायेगी ।

3- यह कार्य उच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाय ।

4- पत्र की प्राप्ति कृपया अभिस्वीकृत करें ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस०एन० विश्वास

आयुक्त एवं सरकार के सचिव ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 18 जून, 1993

विषय :- सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।

सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के वैसे पदों को छोड़कर, जिन पर वर्त्तमान व्यवस्था के अनुसार नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती है, अन्य सभी पदों पर नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया कार्मिक विभाग के संकल्प सं०-1918 दिनांक 28-1-1976 (समय-समय पर संशोधित) एवं परिपत्र संख्या-16440 दिनांक 3-12-1980 में निरूपित है ।

उपर्युक्त संकल्प एवं परिपत्र को अवक्रमित करते हुए सरकार ने संकल्प सं० 2603 दिनांक 31-3-92 तथा संकल्प सं०-6 दिनांक 2-1-93 द्वारा वर्ग-3 के उपर्युक्त पदों पर क्रमशः प्रमण्डलीय एवं बिहार लोक सेवा आयोग के स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया का निरूपण किया गया था ।

सभी पहलुओं पर भलीभाँति विचार कर सरकार ने संकल्प संख्या-2603 दिनांक 31-3-92 तथा संकल्प संख्या-6 दिनांक 2-1-93 को निरस्त कर निर्णय लिया है कि वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति के निमित्त निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ।

1. (क) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के पदों पर (टंकक, आशुटंकक एवं मुफस्सिल कार्यालय के लिपिक के पद, जिनके लिये टंकण का ज्ञान होना अनिवार्य हो तथा ऐसे तकनीकी पद, जिनके लिये तकनीकी ज्ञान अनिवार्य हो, को छोड़कर) नियुक्ति के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की लिखित या मौखिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना होगा और स्कूल तथा कॉलेज की परीक्षाओं में उनके द्वारा प्राप्तांक अंकों को आधार मानकर मेरिट लिस्ट तैयार किया जायगा एवं इसी मेरिट लिस्ट से संकल्प संख्या-1918 दिनांक 28-1-76 के साथ संलग्न अनुदेश (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायगी ।

1. (ख) जिला पदाधिकारी एवं अन्य विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों के नियुक्ति पदाधिकारी अपने- अपने स्तर पर कैलेन्डर वर्ष के प्रारंभ में अपने द्वारा भरे जाने वाले पदों (वास्तविक एवं संबंधित वर्ष के अन्त तक होने वाली रिक्तियों को मिलाकर) के संबंध में एक साथ आरक्षण संबंधी नियम का पालन करते हुए रोस्टर क्लियरेंस करायेंगे । ऐसा करने के पूर्व इस बात की जांच कर ली जायगी कि रिक्त पद पर नियुक्तियाँ निर्गत परिपत्रों के आलोक में अनुमान्य है या नहीं ?

1. (ग) इसके बाद जिला पदाधिकारी एवं अन्य विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों के नियुक्ति पदाधिकारी निकटतम अवर प्रादेशिक नियोजनालय को रिक्तियों की सूचना आरक्षित पदों के विवरण सहित भेजेंगे । ऐसा होने से नियुक्ति में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता मिलेगी । साथ ही प्राप्त आवेदनों की संख्या भी एक सीमा के अन्दर रहेगी ।

1. (घ) जिला पदाधिकारी के स्तर पर अथवा विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों के नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर पर अपने निकटतम अवर प्रादेशिक नियोजनालय के माध्यम से प्राप्त अभ्यार्थियों की सूची /

आवेदन-पत्रों पर विचार कर मेरिट-लिस्ट तैयार करने के लिये एक चयन समिति निम्नरूप से गठित की जायगी:-

1. जिला पदाधिकारी - अध्यक्ष ।
2. विभिन्न प्रशासी विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों में से एक पदाधिकारी वर्षवार परिवर्त्तन (Yearwise rotation) के आधार पर एक वर्ष के लिए एक बार - सदस्य ।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी - सदस्य ।
4. अल्पसंख्यक समुदाय के एक पदाधिकारी वर्षवार परिवर्त्तन (Yearwise rotation) के आधार पर - सदस्य ।
5. पिछड़ी जाति, वर्ग-1 एवं वर्ग-2 का एक प्रतिनिधि, वर्षवार परिवर्त्तन (Yearwise rotation) के आधार पर - सदस्य ।
6. समाहरणालय के स्थापना उप समाहर्त्ता - सदस्य-सचिव ।

क्रमांक 2 से 5 जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किये जायेंगे ।

1. (च) मेरिट-लिस्ट दो भागों में तैयार होगी, पार्ट (ए) एवं (बी) । पार्ट (ए) में रिक्तियों के अनुसार सुयोग्य व्यक्तियों के नाम अंकित रहेंगे और पार्ट (बी) प्रतीक्षक सूची जैसी होगी, जिससे बाद की किन्तु संबंधित कैलेन्डर वर्ष के भीतर होने वाले रिक्तियों में नियुक्ति की जा सकेगी ।

1. (छ) टंकक, आशुटंकक एवं मुफस्सिल कार्यालय के लिपिक, जिनकी नियुक्ति हेतु टंकण का ज्ञान अनिवार्य है तथा अन्य ऐसे पद जिनमें तकनीकी ज्ञान का होना अनिवार्य है, के पदों पर नियुक्ति के लिये क्रमश: टंकण, आशुलेखन / टंकण एवं संबंधित तकनीकी ज्ञान की जांच गठित चयन समिति द्वारा अभ्यार्थियों की ली जायगी और उक्त टेस्ट में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट-लिस्ट तैयार किया जायगा ।

1. (ज) उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति महालेखाकार, बिहार / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय ।
3. राज्य सरकार के अधीन सभी स्वशासी बोर्डों, निकायों, निगमों, कम्पनियों एवं विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत सभी स्तर की (वर्ग-4 एवं उसके समकक्ष पदों को छोड़कर) नियुक्तियाँ उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार होंगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध विभागों द्वारा आवश्यक अनुदेश तुरत निर्गत किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- एस०एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञाप संख्या-3/एम 1-1097/90-का० 5939 पटना-15, दिनांक 18 जून, 1993

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित। अनुरोध है कि इसकी एक हजार प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में शीघ्र भेजी जाय।

ह०/- एस०एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप संख्या-3/एम 1-1097/90-का० 5939 पटना-15, दिनांक 18 जून, 1993

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/- एस०एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव।

पत्र संख्या-3/एम 1-1097/90-का० 449

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस०एन० विश्वास,

आयुक्त-सह-सचिव ।

सेवा में,

सचिव,

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ।

पटना-15, दिनांक 13 जनवरी, 1993

विषय :- सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्त्तन ।

महाशय,

क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रमण्डलीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन कर सीधी नियुक्ति करने का निर्णय पूर्व में सरकार द्वारा लिया गया था, जिसके आलोक में कतिपय कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रमण्डलीय स्तर पर आयोजित परीक्षा में उत्पन्न कठिनाइयों पर विचार कर राज्य में चयन का समान स्तर रखने के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन प्रमण्डलीय स्तर पर न कर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर एवं उसकी अनुशंसा पर सीधी नियुक्तियाँ करने का निर्णय लिया गया है । तत्संबंधी संकल्प संख्या-6 दिनांक 2-1-93 निर्गत किया जा चुका है ।

2. एतदर्थ सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति के लिये प्रतियोगिता परीक्षा लेगा, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा एवं परीक्षा के विषय आदि निम्न प्रकार होंगे :-

(क) **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम** :- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा, जो बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा मैट्रिक स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निर्धारित था ।

(ख) **आयु सीमा** :- उम्र का वही प्रतिबंध लागू होगा, जो सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा ।

(ग) **लिखित परीक्षा के विषय एवं अधिकतम अंक** :- लिखित परीक्षा केवल तीन विषयों में ली जायेगी— हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं गणित । लिखित परीक्षा का प्रत्येक पत्र 3 घंटे का होगा एवं प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 होगा। इस परीक्षा में अंतर्वीक्षा का प्रावधान नहीं होगा, केवल उन पदों के लिए जिनमें अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता है, जैसे आशुटंकक ।

(घ) **न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक** :- सामान्य हिन्दी विषय में प्राप्तांक परीक्षा के कुल प्राप्तांक के साथ प्रतियोगिता के लिए नहीं जोड़ी जायेगी, लेकिन सफल उम्मीदवारों के लिए सामान्य हिन्दी में कम-से कम

30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है । सामान्य हिन्दी को छोड़कर अन्य विषयों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी या उर्दू भाषा में उम्मीदवार अपनी सुविधानुसार दे सकते हैं ।

(ङ) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवार द्वारा यथावत भरे गये आवेदन पत्र के साथ कोषागार चालान के रूप में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 7.50 (सात रुपये पचास पैसे) तथा अन्य उम्मीदवारों को 25/- रुपये (पचीस रुपये) मात्र की रकम देनी होगी । परीक्षा शुल्क की राशि बजट शीर्ष यथा लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित शीर्ष के अधीन जमा की जायेगी । आवेदन पत्र के साथ चालान की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

(च) यदि नियुक्ति हेतु निर्धारित अन्य सभी तुलनात्मक शर्त्त समतुल्य हो तो नियुक्ति में जिला के स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

(छ) परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जायेगी, परन्तु पूरे राज्य में यह एक ही तिथि एवं कार्यक्रम के अनुसार ली जायेगी ।

(ज) परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा का कार्यक्रम की घोषणा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर की जायेगी और उसकी प्रतिलिपियाँ उनके अधीनस्थ के नियोजनालयों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों को भी भेजी जायेगी ।

(झ) बिहार लोक सेवा आयोग इसके आधार पर नियुक्ति पदाधिकारियों को सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची जिलावार उनके मूल आवेदन पत्र एवं कागजातों के साथ एवं अन्य कागजातों के साथ भेज देंगे तथा उसकी एक प्रति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अनिवार्यतः भेजेंगे, ताकि उस पर नियंत्रण रखा जा सके।

(ञ) चतुर्थवर्गीय कार्यरत सरकारी सेवक भी इस परीक्षा में बैठने के लिए सक्षम होंगे, बशर्त्ते कि वे इस पद पर नियुक्ति हेतु सारी अर्हता रखते हों तथा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अन्दर हो ।

3. **आरक्षण नीति** :- इस प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से वर्ग-3 के पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी सभी नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन अनिवार्य होगा ।

विश्वासभाजन

ह०/- एस०एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञाप संख्या-3/एम 1-1097/90 का० 449 पटना-15, दिनांक 13 जनवरी, 1993

प्रतिलिपि :- सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- एस०एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

------

[12]

पत्र संख्या-3/सी 2-60108/94-का० 2822

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी०के० श्रीवास्तव,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभागीय सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 27 अप्रील, 1995

विषय :- सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि सेवा काल में सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के चलते उनके आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को राज्य सरकार के अन्तर्गत वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक आदेश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-12754 दिनांक 12-7-77, 11474 दिनांक 3-7-79, 6694 दिनांक 17-5-1980, 814 दिनांक 22-1-1981, 3211 दिनांक 12-1-84, 11946 दिनांक 30-11-84 तथा 13293 दिनांक 5-10-91 द्वारा निर्गत किये गये थे । इन परिपत्रों में विहित प्रक्रिया के बाद भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावकारी नहीं हो सकी, जिसके चलते माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गयी । माननीय पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका 3974/1192, 12268/ 1992 एवं 12453/1993 में समेकित आदेश के द्वारा यह निदेश दिया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी बनायी जाय, जिससे कि आवेदकों को मृत्यु की तिथि के प्राथमिकता के अनुसार किसी भी रिक्त पद पर नियुक्ति मिल सके ।

2 - ऊपर उल्लेखित रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नांकित निदेश दिया है :-

(क) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पर विचार सचिवालय स्तर पर गठित एक समिति के द्वारा की जाय ।

(ख) जिला स्तर पर कार्यालयों के मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में विचार जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा हो ।

(ग) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के मृत सरकारी सेवक के आश्रित उसी कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे जहाँ उक्त सरकारी सेवक मृत्यु के समय पदस्थापित थे । यही प्रक्रिया जिला स्तर के मामले में भी लागू होगा ।

(घ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग नोडल विभाग सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मामले में होगा । इस स्तर पर गठित समिति अंतिम रूप से सभी प्राप्त आवेदकों की सूची मृत्यु की तिथि के आधार

पर वरीयतानुसार तैयार करेगी । तत्पश्चात् रिक्ति के अनुसार इस सूची से संबंधित विभागों को नियुक्ति के लिये आवेदक का नाम वरीयतानुसार यह समिति अग्रसारित करेगी । यही प्रक्रिया जिला स्तरीय समिति के द्वारा भी अपनायी जायेगी ।

(ङ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की जो समय-सीमा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 5-10-1991 के परिपत्र से समाप्त कर दी गयी थी, उसके स्थान पर आवेदन देने के लिये अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रकृति एवं अन्य आवेदकों के दावे को देखते हुए आवेदन देने की एक समय-सीमा राज्य सरकार निर्धारित करेगी ।

(च) माननीय न्यायालय ने विभिन्न स्तरों का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पैनेल की तैयारी हेतु भी मार्गदर्शन दिया है और यह निदेश दिया है कि राज्य सरकार इसके आधार पर वर्त्तमान परिपत्र को संशोधित कर परिपत्र आदेश के तीन माह के अन्दर निर्गत करे । अनुकम्पा के आधार पर सभी नियुक्तियाँ संशोधित परिपत्र के निर्गत होने के पश्चात् ही होगी और इसके विपरीत कोई भी नियुक्ति होती है तो न्यायालय की अवमानना समझी जायेगी ।

3 - माननीय पटना उच्च न्यायालय के उपुर्यक्त निर्देशों पर भलीभांति विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार ने अनुकम्पा के आधार पर निर्गत परिपत्र सं०-13293 दिनांक 5-10-1991 में निम्नांकित आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया है :-

(क) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को नोडेल विभाग घोषित किया जाता है । आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय अनुकम्पा समिति गठित की जाती है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1- आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग ।	अध्यक्ष ।
2- वित्त आयुक्त के द्वारा मनोनीत पदाधिकारी ।	सदस्य ।
3- सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य ।
4- सचिव, पथ निर्माण विभाग	सदस्य ।
5- जिस विभाग का मामिला हो उस विभाग के सचिव ।	विशेष आमंत्रित सदस्य ।
6- अपर सचिव / संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-3) कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग ।	सदस्य-सचिव ।

(ख) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पूर्व में गठित समिति के द्वारा जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के अर्हता प्राप्त आश्रितों की नियुक्ति हेतु मृत्यु की तिथि के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की ही वरीयता सूची तैयार की जायेगी । रिक्ति के अनुसार संबंधित कार्यालयों को यह समिति नियुक्ति हेतु नाम अग्रसारित करेंगे ।

4- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के अनुसार ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधित विभागों के नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी ।

5- मृत सरकारी सेवक के आश्रित आवेदन उसी विभाग में देंगे जहाँ सरकारी सेवक अंतिम रूप से पदस्थापित थे । उक्त विभाग आवेदन को भलीभाँति प्रारम्भिक जाँच कर ऊपर गठित संबंधित समिति के नोडल पदाधिकारी को आवेदन अग्रसारित करेंगे ।

6- अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र समर्पित करने की समय-सीमा मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष तक ही रहेगी ।

7 परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 5-10-1991 के प्रावधान उपर्युक्त रूप से संशोधित समझा जाय और अन्य सभी प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे ।

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० के० श्रीवास्तव

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या 3/सी 2-60108/94-का० 2822 पटना-15, दिनांक 27 अप्रील, 1995

प्रतिलिपि :- निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा सचिव, विधान परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि वे उच्च न्यायालय एवं विधान मण्डल के अधीन वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति हेतु इसी आशय का आदेश निर्गत करने पर विचार करें ।

ह०/- बी० के० श्रीवास्तव

सरकार के अपर सचिव ।

------

[13]

पत्र संख्या-3/सी2-60108/94 का० 1320

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी०के० श्रीवास्तव,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष /

सभी विभागीय सचिव /

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 6 मार्च, 1995

विषय :- मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लंबित मामलों के निष्पादन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित फैसला दिया गया है :-

"In the result, these writ applications are allowed. The Respondents are directed to take necessary steps in light of the observations and directions made in paragraphs 8 and 9 above and to consider the case of the petitioners accordingly at the appropriate stage. The necessary circular must be issued within three months. All compassionate appointment shall thereafter be made strictly in accordance with the scheme / procedure envisaged in the judgement. Any appointment contrary to the above scheme / procedure will amount to disobedience of this order exposing the appointing authority to contempt of this court."

उपर्युक्त फैसले की कंडिका 8 एवं 9 में दिये गये निदेश के अनुसार प्रक्रियाओं का निर्धारण सरकार के विचाराधीन है । निर्धारित प्रक्रिया की सूचना निर्णयोपरान्त दी जायेगी ।

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० के० श्रीवास्तव

सरकार के अपर सचिव ।

------

[14]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- सिविल विमानन विभाग में विमान चालकों / अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समिति का गठन ।

सिविल विमानन विभाग के अन्तर्गत विमान चालकों / अभियंताओं के राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर रखने का निर्णय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या-6166 का० दिनांक 24-6-94 द्वारा लिया गया है, उन पदों पर नियुक्ति के निमित्त चयन करने हेतु चयन समिति निम्न रूप में गठित होगा :-

(1)	सदस्य, राजस्व पर्षद	-	अध्यक्ष
(2)	कार्मिक विभाग के अपर सचिव / विशेष सचिव	-	सदस्य
(3)	वित्त विभाग के अपर सचिव / विशेष सचिव	-	सदस्य
(4)	निदेशक-सह-विशेष सचिव, सिविल विमानन विभाग	-	सदस्य
(5)	मुख्य विमान अभियंता, सिविल विमानन विभाग	-	सदस्य
(6)	विमान अर्हता पदाधिकारी, भारत सरकार	-	सदस्य

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि बिहार राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

2 - यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि, सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / महालेखाकार, बिहार / सरकार के सभी विभागों / सभी विभागाध्यक्षों और सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- बी०के० श्रीवास्तव
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या-3/आर 1-1031/94 का०-7057 पटना-15, दिनांक 21 जुलाई, 1994 ।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं उसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में भेजने हेतु प्रेषित ।

ह०/- बी०के० श्रीवास्तव
सरकार के अपर सचिव ।

------

[15]

पत्र संख्या 11/वि-4-जा०नि०-1001/93 का० 76

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस०एन० विश्वास,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी जिलाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 8 जुलाई, 1993

विषय :- जाली जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्तियों पर रोकथाम के संबंध में मार्गदर्शन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपुर्यक्त विषयक जाली जाति प्रमाण -पत्र के आधार पर कतिपय जिलों एवं विभागों में जाली नियुक्तियों के मामले सरकार के प्रकाश में लाये जा रहे हैं । दिनांक 7-5-93 को आहूत विधान परिषदीय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष महोदय ने भी 10 मामलों को सरकार के प्रकाश में लाया है । सरकार ने निर्णय लिया है कि जालसाजी करने वाले गिरोह एवं विभाग पर कड़ी निगरानी रखी जाये।

(2) जाली जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्तियों में रोकथाम तथा की गयी नियुक्तियों में जाली प्रमाण-पत्र पर कार्य कर रहे लोगों की पहचान हेतु समिति के माननीय अध्यक्ष द्वारा कतिपय बिन्दु सुझाये गये । सरकार ने भली-भाँति विचार कर समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिया है तथा इसका त्वरित निष्पादन की अपेक्षा दिनांक 31-8-1993 तक करने का विनिश्चय किया है :-

(क) जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करते समय स्थानीय जाँच के साथ-साथ राजस्व अभिलेखों को भी प्रमुख साक्ष्य के रूप में अपनाया जाय ।

(ख) कार्यरत सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के (वर्ग-4 से 1) कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों से शपथ-पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र की माँग की जाय ।

(ग) तत्पश्चात नियंत्रण पदाधिकारी / प्रशासी विभाग उनके दावों की जाँच शपथ-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वयं करें और यह देखें कि आरक्षित वर्ग को प्राप्त होने वाली सुविधायें उन्हें कहां तक उपलब्ध हुई हैं । साथ ही साथ जाँच कर आश्वस्त हो लें कि उन्हें सही जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त है जिसके आधार पर उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राप्त होने वाली सुविधायें उपलब्ध हैं ।

(घ) रोस्टर पंजी में प्रत्येक कर्मचारी का तदोपरान्त आरक्षण वर्गवार विवरणी का अंकन अवश्य करें तथा पायी गई भूल का सुधार सक्षम पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून न हों, द्वारा किया जाय ।

(ङ) उपर्युक्त कार्रवाई के बाद कार्यरत कर्मचारियों की आरक्षण वर्गवार वर्ग 4 से 1 तक के पदों की सूचना संलग्न प्रपत्र में दिनांक 31-8-1993 तक अधोहस्ताक्षरी को अवश्य भेजा जाय ।

(3) उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष तथा प्रमण्डलीय आयुक्त / उपायुक्त एवं जिला पदाधिकारीगण अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों / पदाधिकारियों का आरक्षण विवरण विहित मापदण्ड के आधार पर दिनांक 31-8-1993 तक अवश्य प्रेषित करें । साथ-ही साथ जाली जाति प्रमाण - पत्र के संबंध में की गयी कार्रवाई से सूचित करें । जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर कार्यान्वित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाय तथा पत्र की पावती स्वीकार किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस०एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक 76/का०, पटना-15, दिनांक 8-7-1993

प्रतिलिपि :- सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी आरक्षी अधीक्षक का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- एस०एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

------

[16]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 18 जून, 1993

विषय :- **राजकीय उपक्रमों एवं सरकार के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति में अधिमानता दिये जाने के संबंध में ।**

दैनिक वेतनभोगी, मास्टर रौल, आकस्मिक भृत्य आदि कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति के संबंध में विभिन्न संघों द्वारा उठाये गये मांगों पर फरवरी, 92 में राज्य सरकार एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के महासंघों / समन्वयन समिति के साथ निम्न समझौते हुए हैं :-

"संबंधित विभाग द्वारा उनके अधीनस्थ अनुमान्य रिक्त पदों के विरुद्ध इन वर्गों के कर्मियों को आरक्षण नियम-अर्हता, पद अनुमान्यता एवं आवश्यकता तथा इस हेतु निर्धारित कट-ऑफ-डेट के आलोक में वरीयता पदों के विज्ञापन संबंधी कानून का पालन करते हुए नियमित नियुक्ति हेतु विभागीय समिति निर्णय लेगी। कार्मिक विभाग विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा ।"

उक्त समझौते के आलोक में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त सरकार ने निम्नलिखित निर्णय दैनिक वेतनभोगी, मास्टर रौल, आकस्मिक भृत्य आदि कर्मचारियों (जिन्हें आगे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कहा जायगा) को स्वीकृत रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति में अधिमानता दिये जाने के संबंध में लिया है :-

1- राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में समय-समय पर आवश्यक निर्देश दिये गये । यह भी निर्देश दिया गया था कि सरकारी कार्यालयों में ऐसी नियुक्तियाँ नहीं की जाय तथा दिनांक 1-8-85 के बाद की गयी ऐसी अनियमित नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाय । अतएव कट-ऑफ-डेट 1-8-85 होगा, अर्थात् वैसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जो दिनांक 1-8-85 के पूर्व से कम-से-कम 240 दिनों से कार्यरत हैं, उन्हें अन्य परिस्थितियाँ समान रहने पर नियुक्ति में अधिमानता देने पर विचार किया जाय ।

2- वर्ग-3 एवं 4 की नियुक्ति के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र लागू होंगे ।

3- दिनांक 1-12-91 को विभाग / क्षेत्रीय कार्यालयों के रिक्त स्वीकृत पद की जाँच कर ली जाय।

4- दिनांक 1-12-91 को चतुर्थ वर्ग के स्वीकृत रिक्त पदों की अनुमान्यता की जाँच वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-3110 दिनांक 10-4-86 के आलोक में कर ली जाय ।

5- स्वीकृत एवं अनुमान्य रिक्त पदों को कार्यहित में भरना आवश्यक है या नहीं, इसे ध्यान में रखा जाय ।

6- ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिये रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम का पूर्णत: अनुपालन किया जाय ।

7- संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हतायें विशेषत: न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का पालन किया जाय ।

8- आरक्षण नियम का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाय ।

9- उपरोक्त रूप से योग्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमित सेवा में अधिमानता के आधार पर वर्ग-3 एवं 4 के पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जाय :-

1-	विभागीय सचिव	अध्यक्ष ।
2-	विभागाध्यक्ष	सदस्य ।
3-	स्थापना समिति में पूर्व से अनुसूचित जाति/ जनजाति के मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य ।
4-	संबंधित विभाग के स्थापना प्रभारी पदाधिकारी	सदस्य ।

10- उपरोक्त रूप से योग्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित सेवा में अधिमानता के आधार पर वर्ग-3 एवं 4 के पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु प्रत्येक लोक उपक्रम इकाइयों के लिये यह कार्य अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा :-

1-	अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो	अध्यक्ष ।
2-	संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव	सदस्य ।
3-	संबंधित उपक्रम के प्रबंध निदेशक	सदस्य ।
4-	स्थापना समिति में पूर्व से अनुसूचित जाति / जनजाति के मनोनीत सदस्य	सदस्य।

11- उपर्युक्त समिति अपने सचिवालय, निदेशालय, संबद्ध कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से वांछित सूचनायें प्राप्त कर तथा ऊपर दी गयी सभी शर्तों के अनुपालन की जांच कर रिक्त एवं अनुमान्य पदों पर योग्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की अन्य बिन्दु समान होने पर उनकी वरीयता के आधार पर अधिमानता देने के लिए पैनेल तैयार करेगा । पैनेल तैयार करते समय आरक्षण के रोस्टर बिन्दु का पूर्णरूप से अनुपालन किया जायेगा । पैनेल में आनेवाले ऐसे व्यक्ति की आयु यदि सरकारी सेवा में प्रवेश करने की आयु से अधिक पाई जाय तो उनके मामले में आयु सीमा को शिथिल करने के लिए विभागीय सचिव, आयुक्त या जो भी सक्षम पदाधिकारी हो, का आदेश प्राप्त करना होगा । ऐसे तैयार किये पैनेल की सूचना सक्षम पदाधिकारी / पदाधिकारियों को समुचित कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग /ब्यूरो के द्वारा दी जायेगी तथा वित्त विभाग को पूर्ण सूचनाओं के साथ अवगत करायेगी।

12- 1-8-85 के बाद नियुक्त दैनिक वेतनभोगी व्यक्तियों की सेवा समाप्त कर दी जाय । इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट से कोभरड कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के संबंध में संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए कार्रवाई की जाय ।

13- उक्त व्यवस्था के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेगा ।

आदेश :- आदेश है कि इसकी प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / सभी विभागाध्यक्षों / सभी प्रमण्डलायुक्तों एवं सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- एस०एन० विश्वास
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप सं०-3/एम 1-1069/88 (खण्ड)का० 5940 पटना-15, दिनांक 18 जून, 1993

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित की जाती है। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियां मुद्रित कर कार्मिक विभाग (प्र०-3) को भेजें।

ह०/- एस०एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञाप सं०-3/एम 1-1069/88 (खण्ड) का० 5940 पटना-15, दिनांक 18 जून, 1993

प्रतिलिपि :- सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / लोक उद्यम ब्यूरो / सभी प्रमण्डलायुक्त/सभी जिलाधिकारी / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- एस०एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव ।

------

[17]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- कारा उत्पाद एवं वन विभागों में चतुर्थवर्गीय वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-7280 दिनांक 19-6-90 द्वारा गृह कारा, उत्पाद एवं वन विभागों में चतुर्थवर्गीय वर्दीधारी फोर्स जैसे जेल वार्डर, उत्पाद आरक्षी एवं वनरक्षी पदों पर नियुक्ति में एकरूपता एवं समान मानक को मद्देनजर रखते हुए नियुक्ति की शक्तियां जिला पदाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समिति को सुपुर्द किया गया था । जिला पदाधिकारियों के कार्य बोझ एवं व्यस्तता के कारण जिलास्तरीय समिति की देखरेख में चतुर्थवर्गीय वर्दीधारी फोर्स की बहाली यथा समय नहीं हो पा रही है । नियुक्ति की प्रक्रिया में इस केन्द्रीकरण से अनेक पद खाली पड़े रह जाते हैं । ऐसी स्थिति में उपर्युक्त संकल्प में संशोधन करने की आवश्यकता आ पड़ी है ।

2. अत: भलीभाँति विचारोपरान्त सरकार द्वारा उत्पाद आरक्षी, वन तथा कारा विभाग के वर्दीधारी चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति की शक्तियाँ, संबंधित विभागों को सौंपने का निर्णय लिया गया है ।

3. यह प्रणाली आदेश की तिथि से प्रभावित होगी तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प संख्या-7280 दिनांक 19-6-90 संशोधित माना जायगा ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सरकार के सभी विभागों / सभी विभागाध्यक्षों / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- एस०एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञाप सं०-3/आर 1-10268/92 का० 1391 पटना-15, दिनांक 10-2-93

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रसारित । अनुरोध है कि इस संकल्प की एक हजार प्रतियां मुद्रित कर कार्मिक विभाग एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में शीघ्र भेजने की कृपा करें ।

ह०/- विजय शंकर दूबे

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप सं० 3/आर 1-10268/92 का० 1391 पटना-15, दिनांक 10-2-93

प्रतिलिपि :- सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ अग्रसारित ।

ह०/- विजय शंकर दूबे

सरकार के संयुक्त सचिव ।

[18]

संकल्प संख्या-3/एम1097/90 का०-06

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

दिनांक 2-1-1993

विषय :- सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन ।

क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रमण्डलीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन कर सीधी नियुक्ति करने का निर्णय पूर्व में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2603 दिनांक 31-3-92 द्वारा लिया गया था । जिसके आलोक में कतिपय कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया । इस पर भलीभाँति विचारोपरान्त सरकार ने प्रमण्डलीय स्तर पर आयोजित परीक्षा में उत्पन्न कठिनाइयों के आलोक में एवं राज्य में चयन का समान स्तर रखने के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन प्रमंडलीय स्तर पर न कर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर एवं उसकी अनुशंसा पर सीधी नियुक्तियाँ करने का निर्णय लिया है ।

2- जहाँ तक सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ग-3 के वेतनमान 1200-1800/- रुपये तक के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होगी।

3- विभिन्न कर्मचारी संघों के साथ हुए समझौते के आलोक में वर्ग-3 के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की अधिमानता के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार ने निर्णय लिया है कि इन कर्मचारियों को भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना होगा । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को अन्य परिस्थिति समान रहने पर ऐसे कर्मचारियों की अनुशंसा में अधिमानता देने का निर्देश दिया गया है ।

4- इस संकल्प में निहित आदेश के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई होने पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त कर निर्देश जारी करेंगे ।

5- इस संकल्प के लागू होने के पश्चात् वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी पूर्व के सभी परिपत्र/निर्देश एवं शक्तियाँ विलोपित समझी जायगी ।

----

[19]

पत्र संख्या-12/नि-1010/91 का० 12643

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस०एन० विश्वास,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 18 नवम्बर, 1992

विषय :- **बिहार प्रशासनिक सेवा (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1991 के प्रावधानों को बि०प्र० सेवा के सदृश अन्य राज्य सेवाओं में लागू किये जाने के संबंध में ।**

महोदय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक इस विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-12/नि-1010/91 का०-3047 दिनांक 8-4-92, जिसके द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1991 को प्रख्यापित किया गया है, कि एक प्रति संलग्न करते हुए मुझे कहना है कि इस नियमावली के नियम 12 (ii) में यह प्रावधान किया गया है कि इस नियमावली के प्रावधान बिहार प्रशासनिक सेवा के सदृश अन्य राज्य सेवाओं में भी लागू होंगे ।

अत: अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- एस०एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव ।

------

[20]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 16 सितम्बर, 1992 ।

विषय :- वर्ग-3 के उपलब्ध रिक्तियों में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के दिनचर्या लिपिक / टंकक एवं मुफस्सिल कार्यालय के पत्राचार लिपिक अथवा लिपिक के 50 प्रतिशत पदों पर अपेक्षित योग्यता (अधिकतम आयु सीमा को छोड़कर) रखने वाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों से तथा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के दिनचर्या लिपिक / टंककों के 25 प्रतिशत पदों पर अभिलेखवाह / कोषागार-सरकार से वरीयता एवं योग्यता के आधार पर 60 : 40 के अनुपात में भरे जाने के संबंध में ।

दिनांक 10-10-89, 11-12-90, 4-2-92, 5-2-92 एवं 9-2-92 को राज्य सरकार के प्रतिनिधियों एवं विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते में से निम्नांकित दो बिन्दुएं निम्न रूप से हैं:-

(क) वर्ग-3 के जिन-जिन पदों के 25 प्रतिशत पदों (रिक्तियों) को चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से भरने की व्यवस्था है, उन पदों के 50 प्रतिशत रिक्तियों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि रखनेवाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जायेगा । परन्तु वरीयता को अधिमानता दी जायगी । वरीयता एवं योग्यता की अधिमानता 60 : 40 के अनुपात में निर्धारित की जायगी । यदि पिछले कई वर्षों तक कोई परीक्षा ही आयोजित नहीं की गयी तो वरीयता के आधार पर प्रोन्नति करने का विचार किया जायगा । जहां परीक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां वरीयता एवं न्यूनतम योग्यता के आधार पर प्रोन्नति प्रदान की जायगी ।

(ख) सचिवालय सहायक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा / दिनचर्या लिपिक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों की सूची से तबतक रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायगी जब तक अगली परीक्षाफल उपलब्ध नहीं हो जाती । भविष्य में प्रतिवर्ष सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायगा ।

उपर्युक्त समझौते के आलोक में सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

2. 1-सरकारी संकल्प संख्या-2215, दिनांक 11-2-85 की कंडिका 3.1 में टंककों की नियुक्ति का जो क्रम निरूपित है उसके स्थान पर अब निम्नलिखित व्यवस्था रहेगी :-

(क) टंककों के रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पद परीक्षा के आधार पर सीधा भर्त्ती की प्रक्रिया से भरे जायेंगे।

(ख) 50 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अपेक्षित योग्यता (अधिकतम आयु सीमा को छोड़कर) रखनेवाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों से भरे जायेंगे ।

2. 2-सरकारी संकल्प संख्या-2215, दिनांक 11-2-85 की कंडिका-7 में पत्राचार लिपिक अथवा लिपिक के पद पर नियुक्ति का जो क्रम निरूपित है उसके स्थान पर निम्नलिखित व्यवस्था रहेगी :-

(क) पत्राचार लिपिक अथवा लिपिक के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्त्ती की प्रक्रिया से भरे जायेंगे।

(ख) 50 प्रतिशत पदों पर अपेक्षित योग्यता (अधिकतम आयु सीमा को छोड़कर) रखनेवाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों से भरे जायेंगे ।

2. 3-उपर्युक्त कंडिका-2.1 एवं 2.2 के अनुसार संकल्प संख्या-2215, दिनांक 11-2-85 संशोधित समझा जायगा और उक्त संकल्प में निरूपित अन्य शर्त्त पूर्ववत रहेगी ।

3. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में दिनचर्या लिपिकों एवं टंककों तथा मुफस्सिल कार्यालय के पत्राचार लिपिक अथवा लिपिकों के 50 प्रतिशत पदों पर चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति में तथा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के दिनचर्या लिपिक / टंकक के 25 प्रतिशत पदों पर अभिलेखवाह/कोषागार-सरकार से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति में वरीयता को अधिमानता दी जायगी और वरीयता एवं योग्यता में अधिमानता का क्रम 60 : 40 के अनुपात में निर्धारित किया जायगा । योग्यता का मापदण्ड सीमित प्रतियोगिता परीक्षा होगा । सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का एक ही विषय है, जिसका पूर्णांक-100 है तो वरीयता के अनुपात पर पूर्णांक 150 रहेगा । पूर्ण पेंशन प्रदायी सेवा 33 वर्षों की है । अत: पूर्णांक 150 को 33 वर्षों में बांटने पर एक वर्ष का अंक 4½ (साढ़े चार) आता है । सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में अर्जित प्राप्तांक में उस उम्मीदवार की जितने वर्षों की संतोषजनक सेवा रहेगी उतने वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 4½ (साढ़े चार) अंक के हिसाब से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक के साथ जोड़कर परीक्षाफल (पैनेल) प्रकाशित किया जायगा ।

इस संबंध में पूर्व निर्गत सभी सरकारी परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

4. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-13/87) के न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त सभी सफल उम्मीदवारों की सूची तथा दिनचर्या लिपिक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-2/85) के 333 सफल उम्मीदवारों की सूची तबतक प्रभावी रहेगी जब तक अगली प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल (पैनेल) उपलब्ध नहीं हो जाती है ।

भविष्य में सहायक / दिनचर्या लिपिक के पद पर विहित प्रावधानों के अनुसार अलग-अलग कोटियों के उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध प्रतिवर्ष प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होगा जिसमें अधियाचित (विज्ञापित) रिक्तियों के अनुसार (के बराबर) श्रेणीवार सफल उम्मीदवारों को योग्यता क्रमानुसार परीक्षाफल (पैनेल) घोषित (प्रकाशित) किया जायगा । सम्बद्ध वर्ष में संभावित रिक्तियों की नियुक्ति के लिये आवश्यकतानुसार उक्त (सम्बद्ध) प्रतियोगिता परीक्षा से ही उम्मीदवारों की अनुशंसा प्राप्त की जायगी ।

इस संबंध में पूर्व निर्गत सभी सरकारी परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि बिहार लोक सेवा आयोग / कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संगठन एवं पद्धति प्रशाखा) विभाग / राजस्व पर्षद / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / महाधिवक्ता का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, राँची / शाखा सचिवालय, राँची / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- एस०एन० विश्वास
सचिव ।

ज्ञाप संख्या-सं०सं०-7027/92 का०-335 पटना-15, दिनांक 16 सितम्बर, 1992

प्रतिलिपि :- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संगठन एवं पद्धति प्रशाखा) विभाग / राजस्व पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

2. अनुरोध है कि उपुर्यक्त अनुसार वे क्रमश: सचिवालय अनुदेश एवं बोर्डस मिसलेनियस रूल्स में यथोचित संशोधित की कार्रवाई करने की कृपा करें ।

ह०/- एस०एन० विश्वास
सचिव ।

ज्ञाप संख्या-सं०सं०-7027/92 का०-335 पटना-15, दिनांक 16 सितम्बर, 1992 ।

प्रतिलिपि :- बिहार लोक सेवा आयोग / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलायुक्त / महाधिवक्ता का कार्यालय, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रांची / शाखा सचिवालय, रांची / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- एस०एन० विश्वास
सचिव ।

ज्ञाप संख्या-सं०सं०-7027/92 का०-335 पटना-15, दिनांक 16 सितम्बर, 1992 ।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।

2 - अनुरोध है कि इसकी 2000 प्रतियां कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय ।

ह०/- एस०एन० विश्वास
सचिव ।